रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 1974/फाल्गुन 10, 1895
No. 44] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 1974/PHALGUNA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1974

G.S.R. 53 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	206/63- Central Excises, dated the 30th November, 1963.	In the said notification, in paragraph one, item (iv) and the entry against that item shall be omitted.

1	2	3
2.	4/64-Central Excises, dated the 18th January, 1964.	In the said notification, for the words "from the whole of the excise duty leviable thereon", the words "from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of rupees four hundred and fifty per kilolitre at fifteen degrees Centigrade thermometer" shall be substituted.
3.	24/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965.	In the Table annexed to the said notification entries relating to S. Nos. 5, 6 and 7 shall be omitted.
4.	14A/66-Central Excises, dated the 26th February, 1966.	In the said notification, for the figures "25·00" the figures "450·00" shall be substituted.
5.	275/67-Central Excises, dated the 21st December, 1967.	In the said notification for the figures "4·15" the figures "25·00" shall be substituted.
6.	46/71-Central Excises, dated the 24th April, 1971.	In the Table annexed to the said notification, for the expression "Ten paise per kilogram", wherever it occurs, the expression "Twenty paise per kilogram" shall be substituted.
7.	88/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification, for the words "twenty five per cent. ad valorem", the "forty per cent. ad valorem" shall be substituted.
8.	97/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification, the following further proviso shall be inserted at the end namely :— "Provided also that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 1st April, 1973 and ending on the 28th February, 1974, mosaic tiles upto a value not exceeding rupees one lakh subject to the condition that the value of mosaic tiles cleared for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during that period does not exceed rupees two lakhs.".
9.	31-72/Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, Serial No. 7 and the entries relating thereto shall be omitted.
10.	35/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, for the figures "150·00", the figures "450·00" shall be substituted.
11.	45/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, after the words "coated paper", the brackets and words "(including waxed paper)" shall be inserted.
12.	67/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, the proviso occuring below the Table shall be omitted.
13.	74/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the Table annexed to the said notification for the entry in column (2) against S. No. 1, after the entry "Gramophone records commonly known as "L.P." or long playing records" the entry "and "E.P." or extended playing records" shall be inserted.

[No. 19/74]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1974

सा०का०नि० 53(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की अधिसूचनाएं जो इस से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथा स्थिति, संशोधित या आगे संशोधित की जाएंगी।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	206/63—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1963	उक्त अधिसूचना में पैरा एक में, मद (IV) और उस मद के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जाएगी।
2.	4/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1964।	उक्त अधिसूचना में, "from the whole of the excise leviable thereon", शब्दों के लिए "from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of rupees four hundred and fifty per kilolitre at fifteen degree Centigrade thermometer" शब्द प्रति स्थापित किए जाएंगे।
3.	24/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 5, 6 और 7 सम्बन्धित से प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।
4.	14क/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1966।	उक्त अधिसूचना में, "25.00" अंकों के लिए, "450.00" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5.	275/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967	उक्त अधिसूचना में, "4.15" अंकों के लिए, "25.00" अंक प्रति स्थापित किए जाएंगे।

(1)	(2)	(3)
6.	46/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख, 24 अप्रैल, 1971।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, "दस पैसे प्रति किलोग्राम" शब्दों के लिए, जहां-कहीं वे आए हों, "बीस पैसे प्रति किलोग्राम" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।"
7.	88/71 — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।	उक्त अधिसूचना में, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के लिए, "चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
8.	97/71— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।	उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात :— "परन्तु यह और भी कि विनिर्माता को 1 अप्रैल, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिए एक लाख रुपए से अनधिक मूल्य की मोज़ेक टाइलों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निकासी करने की अनुज्ञा होगी कि उस अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए मोज़ेक टाइलों का मूल्य दो लाख रुपए से अधिक न हो।"
9.	31/72— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 7 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।
10.	35/73— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।	उक्त अधिसूचना में, "150.00" अंकों के लिए, "450.00" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
11.	45/73 — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।	उक्त अधिसूचना में, "लेपित कागज" शब्दों के पश्चात्," (जिसमें मोमी कागज शामिल है) है)" कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
12.	67/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।	उक्त अधिसूचना में, सारणी के नीचे का परन्तुक निकाल दिया जाएगा।

(1)	(2)	(3)
13.	74/73 — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 ।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने, स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के लिए, " सामान्यतः, 'एल. बी.' या लांग प्लेइंग रिकार्डस के नाम से जानने वाले ग्रामोफोन रिकार्डस " प्रविष्टि के पश्चात् "और 'ई. पी.' या एक्सटेन्डेड प्लेइंग रिकार्डस" प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 19/74]

GSR. 54 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 18/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, namely :—

In the said notification, for clause (i) of the proviso, the following clause shall be substituted :—

"(i) which bear on its container or on cap or on both, a name or mark or brand name that is to say, a name or other trade mark registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958) or any other name or mark, such as, a symbol, a monogram, Label, signature or invented words or any other writing which is used in relation to that article for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection, in the course of trade, between the article and some person having the right either as proprietor or otherwise to use the name or mark with or without any indications of the identity of that person, and"

[No. 20/74]

सा०का०नि० 54(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 18/70 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के खंड (i) के लिये निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायगा:—

"(i) जिसके आधान पर या डब्बन पर दोनों पर कोई नाम या चिह्न या व्यापार चिह्न, अर्थात व्यापार और वाणिज्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई नाम या अन्य व्यापार चिह्न या कोई अन्य नाम या चिह्न, जैसे कोई प्रतीक-चिह्न मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या अन्य कोई विलेख हो, जो उस वस्तु के संबंध में उस वस्तु और ऐसे व्यक्ति के बीच, उस व्यक्ति की पहचान उपदर्शित करके या उपदर्शित किये बिना, जिसे उस नाम या चिन्ह को स्वामी के रूप में या अन्यथा प्रयोग में लाने का अधिकार है, व्यापार के अनुक्रम में कोई संबंध उपदर्शित करने के लिये या इस लिये कि ऐसा संबंध उपदर्शित हो, प्रयोग में लाया जाता है ।"

[सं० 20/74]

GSR. 55 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 59/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts the special boiling point spirits of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed, and classifiable as motor spirit falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable there on as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
	Rupees per kilolitre at 15 degrees of Centigrade thermometer.
Special boiling point spirits consisting of hydrocarbons derived from petroleum (other than Benzene, Benzol, Toluene and Toluol), with nominal boiling point ranges—	
(a) 55-115°C	1921·55
(b) 63-70°C	1763·20
(c) Others	1900·00

[No 21/74]

स० का०नि० 55(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 59/71 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को अधिक्रान्त करते हुये, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विशेष क्वथनांक वाले स्पिरिट को, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 के अन्तर्गत आने वाली मोटर स्पिरिट के रूप में वर्गीकरणीय है, उस पर, उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो, छूट देती है।

सारणी

वर्णन	शुल्क
(1)	(2)
	15 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर प्रति किलोलीटर रुपये
विशेष क्वथनांक वाली स्पिरिटें जिनमें पैट्रोलियम से व्युत्पन्न हाइड्रो कार्बन हैं (बेनजीन, बेनजोल टोलइन और टौलुओल से भिन्न) और जिनका नाम मात्र क्वथनांक निम्नलिखित के बीच रहता है—	
(क) 55–115 डि० सै० . .	1921.55
(ख) 63–70 डि० सै० . .	1763.20
(ग) अन्य . . .	1900.00

[सं० 21/74]

G.S.R. 56 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 37/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely :—

In the said notification, for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely :—

"THE TABLE

S. No.	Description	Amount of duty
(1)	(2)	(3)
		Rupees per metric tonne
1	Straight grade Bitumen/Asphalt—	
	(a) packed in drums	Seventy-five
	(b) in bulk	Thirty
2	Cut-back Bitumen/Asphalt (packed in drums)	Seventy-five"

[No. 22/74]

स०का०नि० 56(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 37/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, वर्तमान सारणी के लिए, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की रकम
(1)	(2)	(3)
		रूपए प्रति मी०टन
1	स्ट्रेट ग्रेड बिटुमेन/अस्फाल्ट—	
	(क) ड्रमों में बैक की हुई	पचहत्तर
	(ख) बड़े परिमाण में	तीस
2	कट-बैक बिटुमेन/अस्फाल्ट (ड्रमों में बैक की हुई)	पचहत्तर

[सं० 22/74]

G.S.R.57(E).—In Exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts toothpaste falling under Item No. 14FF of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding rupees one lakh, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon :—

Provided that—

(i) this exemption shall not apply to any toothpaste manufactured by a manufacturer if the total value of such toothpaste so cleared by such manufacturer during such financial year exceeds rupees two lakhs;

(ii) where toothpaste is produced in any factory and such factory is run at different times in any financial year by different manufacturers, the value of toothpaste so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees one lakh ;

(iii) in the case of toothpaste manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds rupees one lakh but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof upto a value not exceeding rupees one lakh:

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 1st March, 1974, and ending on the 31st March, 1974, toothpaste upto a value not exceeding ten thousand rupees subject to the condition that the value of toothpaste cleared for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during that period does not exceed twenty thousand rupees.

[No. 23/74]

सा० का० नि० 57(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 चच के अन्तर्गत आने वाले एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य के टूथपेस्ट को जिसकी निकासी एक या अधिक कारखानों से किसी भी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात गृह उपभोग के लिये की गई हो, उस पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

परन्तु—

(i) यह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे टूथपेस्ट को लागू नहीं होगी यदि ऐसे वित्तीय वर्ष में उस विनिर्माता द्वारा इस प्रकार निकासी किये गये टूथपेस्ट का कुल मूल्य दो लाख रुपये से अधिक हो ;

(ii) जहां टूथपेस्ट का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो वहां, ऐसे कारखाने से और ऐसे किसी वर्ष में शुल्क की मूल्य दर से इस प्रकार निकासी किए गए टूथपेस्ट का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न होगा ;

(iii) किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे टूथपेस्ट की दशा में जिसका ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी किया गया मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो, यह छूट एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य की उसकी प्रथम निकासियों को ही लागू होगी :

परन्तु यह और भी कि विनिर्माता को 1 मार्च, 1974 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिये दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के टूथपेस्ट को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुये निकासी करने की अनज्ञा होगी कि उस अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभोग के लिये निकासी किये गये ऐसे टूथपेस्ट का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक न हो ।

[सं० 237/74]

GSR.58(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964, the Central Government hereby exempts strawboard and mill board, falling under sub-item (3) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), taken together, upto a quantity specified in column (1) of the Table hereto annexed, cleared by any manufacturer for home consumption during any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon as in excess of the amount specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :

THE TABLE

Quantity	Amount
(1)	(2)
On the first 500 metric tonnes	14 paise per kilogram
On the next 500 metric tonnes	20 paise per kilogram
On the next 1000 metric tonnes	30 paise per kilogram
On the quantity in excess of 2000 metric tonnes	40 paise per kilogram

Provided that where a factory producing strawboard or mill board, or both, is run a different times of any financial year by different manufactures, the quantity of such boards cleared from such factory in any such financial year at concessional rates of duty shall not exceed in the aggregate the limits specified in column (1) of the Table :

Provided further that any quantity of mill board exempted from duty of excise under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 181/72-Central Excises, dated the 29th July, 1972, shall be taken into account for computing the quantity referred to in column (1) of the Table appended to this notification.

Explanation :—For the purposes of this notification—

(a) 'mill board' means any unbleached homogenous board, having a thickness exceedin 0.50 milli-metres and made out of mixed waste papers with or without screening and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto ;

(b) 'straw board' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these : provided that—

(i) the quantity of any other material used shall not exceed one third in weight of the total weight of the ingredients, and

(ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paprer pasted on either surface.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1974.

[No. 24/74]

सा० का० नि० 58(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 35/64 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उप-मद सं० (3) के अन्तर्गत आने वाले गत्ते (स्ट्राबोर्ड और मिल बोर्ड) को, दोनों को मिलाकर इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिमाण तक किसी वित्तीय वर्ष में गृह उपभोग के लिये एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा की गई हो उस पर उद्ग्रहणद् उतने उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, छूट देती है ।

सारणी

मात्रा	रकम
(1)	(2)
प्रथम 500 मीटरी टन पर	14 पैसे प्रति किलोग्राम
अगले 500 मीटरी टन पर	20 पैसे प्रति किलोग्राम
अगले 1000 मीटरी टन पर	30 पैसे प्रति किलोग्राम
जितनी मात्रा 2000 मीटरी टन से अधिक हो उतनी मात्रा पर	40 पैसे प्रति किलोग्राम

परन्तु यदि स्ट्राबोर्ड या मिल बोर्ड या दोनों का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न वर्षों में विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो तो किसी वित्तीय वर्ष में शुल्क की रियायती दरों पर उस कारखाने से निकासी किए गए ऐसे बोर्डों की मात्रा कुल मिला कर सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 181/72 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तारीख 29 जुलाई 1972 के अधीन मिल बोर्ड की जितनी भी मात्रा को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है उसे इस अधिनियम से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट मात्रा की गणना करते समय हिसाब में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण .—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) 'मिल बोर्ड' से ऐसा अविरंजित समजातीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिलीमीटर से अधिक हो और जो मिश्रित रद्दी कागजों से, छानन और यंत्रजन्य गूदे सहित या उसके बिना, किन्तु उसमें किसी रंजक पदार्थ को मिला बिना, बनाया गया हो;

(ख) 'स्ट्राबोर्ड' से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जिसे अंशतः पकाए गए अविरंजित स्ट्रा या बगास या घासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुख बनाया गया हो परन्तु—

(i) किसी ऐसी सामग्री की, जिसे प्रयोग में लाया गया हो, मात्रा संघटकों के कुल भार के एक-चौथाई भार से अधिक नही होगी, और

(ii) ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से संपीडित नहीं किया जाएगा और उसकी किसी भी सतह पर कोई कागज चिपकाया नहीं जाएगा ।

2. यह अधिसूचना अप्रैल 1974 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 24/74]

GSR. 59 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items of Item No.17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified, and subject to the conditions laid down, in the corresponding entries in columns (4) and (5), respectively, of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Sub-Item No.	Description	Duty	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(2)	All varieties of paper, other than board, of a substance 40 grammes or more but not exceeding 45 grammes per square metre.	Sixty paise per-kilogram.	
2.	(3)	Printing and writing paper other than paper containing mechanical wood pulp amounting to not less than fifty per cent. of the fibre content.	Nil	If the Collector of Central Excise is satisfied that such paper is actually used in the publication of a daily newspaper, and the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed : Provided that such paper contains no rags in its substance in the form of pulp, and where it contains rag, it also contains in its substance not less than forty per cent. by weight of bagasse, jute stalks or cereal straw in the form of pulp : Provided further that the waste arising in the process of printing of a daily newspaper, subject to a maximum of ten per cent. of the total quantity of such paper used in the publication of the daily newspaper, may be used for any other purpose without payment of duty if the proper officer is satisfied about the fact of waste resulting in the process and such waste is not capable of being used again in the printing of the daily newspaper : Provided also that this exemption shall be admissible only on such quantities of the said paper as may be authorised by the Registrar of Newspapers for India for publication of the daily newspaper.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	(3)	Printing and writing paper (including all unbleached, badami, cream-laid and cream-wove varieties thereof, but not including other coloured or tinted varieties), of a substance not exceeding sixty five grammes per square metre.	Fifteen paise per kilogram.	If such paper does not contain any rag in its substance in the form of pulp, and where it contains rag, it also contains in its substance not less than forty per cent. by weight of bagasse, jute stalks or cereal straw in the form of pulp.

Explanation I.—For the purposes of this notification—

(a) 'daily newspaper' means any printed periodical work containing public news or comments on public news, which is published on not less than six days in a week, and the printer and publisher of which have made and subscribed a declaration under the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) and includes any supplement or special or weekly edition of such newspaper;

(b) 'rag in its substance in the form of pulp' does not include pulp made out of soiled rags taken from worn and torn pieces of garments, or from soiled scraps of cloth (collected either from residential quarters or from streets or from debris dumps) or from such worn and torn pieces of garments ane soiled scraps of cloth.

Explanation II.—For the purposes of S. No. 3, addition of colour to improve the whiteness of the paper shall not be considered as making the paper coloured or tinted.

[No. 25/74]

सा०का०नि० 59 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 की उप-मदों के अन्तर्गत आने वाले कागज को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है अधिक हो, उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में दी गई शर्तों पर छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	उप-मद सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(2)	प्रति वर्गमीटर 40 ग्राम या उससे ऊपर का किन्तु 45 ग्राम से कम का सभी किस्म का कागज जो बोर्ड से भिन्न हो।	साठ पैसे प्रति किलो ग्राम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	(3)	छपाई और लिखाई का कागज जो उस कागज से भिन्न हो जिसमें यन्त्रजन्य काष्ठ गूदे की मात्रा फा धुवर-अन्तर्वस्तु के 50 प्रतिशत से कम न हो ।	कुछ नहीं	यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि ऐसा कागज दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन में वस्तुतः प्रयोग में लाया जाता है और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है : परन्तु यह तब जब ऐसे कागज में गूदे के रूप में कोई चिथड़े (रैग) उसके पदार्थ में न हो, और यदि उसमें चिथड़े हों तो उसके पदार्थ में गूदे के रूप में बंगास जूट-वृन्त या धान्य तृण का भार 40 प्रतिशत से कम न हो : परन्तु यह और भी कि किसी दैनिक समाचार पत्र के मुद्रण की प्रक्रिया से निकलने वाली रद्दी को, उस दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन में प्रयुक्त ऐसे कागज की कुल मात्रा के अधिक से अधिक दस प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए, किसी अन्य प्रयोजन के लिए शुल्क का संदाय किए बिना उस दशा में प्रयोग में लाया जा सकता है जिसमें कि समुचित अधिकारी का उक्त प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप रद्दी निकलती है इस बात का समाधान हो जाए और वह रद्दी उस दैनिक समाचार पत्र के मुद्रण में फिर से प्रयोग में लाए जाने के योग्य नहो :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				परन्तु यह और भी कि यह छूट उक्त कागज की केवल उतनी ही मात्रा तक स्वीकार्य होगी जितनी दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशनार्थ रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स फार इंडिया द्वारा प्राधिकृत की जाए ।
3.	(3)	छपाई और लिखाई का कागज (जिसमें उसकी सभी अविरंजित बादामी, क्रीम-लेड और क्रीमवोव किस्में सम्मिलित हैं किन्तु अन्य रंजित या आभायन वाली किस्में सम्मिलित नहीं हैं) जिसमें 65 ग्राम प्रतिवर्ग-मीटर से अधिक पदार्थ न हो ।	पन्द्रह पैसे प्रति किलोग्राम	यदि उस कागज में उसके पदार्थ में गूदे के रूप में कोई चिथड़े न हों और यदि उसमें चिथड़े हों तो उसके पदार्थ में बगास, जूट-बुन्त या धान्य तृण का भार चालीस प्रतिशत से कम न हो ।

स्पष्टीकरण 1.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "दैनिक समाचारपत्र" से ऐसा मुक्ति नियमकालिक पत्र अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों की समीक्षाएं होती हों और जो सप्ताह में कम से कम छह दिन प्रकाशित होता हो तथा जिसके मुद्रक और प्रकाशक ने मुद्रणालय और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) के अधीन घोषणा की हो और उस पर हस्ताक्षर किए हों और इसके अन्तर्गत उस समाचार पत्र का अनुपूरक या विशेष या साप्ताहिक संस्करण भी है ;

(ख) "उसके पदार्थ में गूदे के रूप में चिथड़े" के अन्तर्गत ऐसा गूदा नहीं आता जो परिधानों के फटे-चिथे टुकड़ों से निकाले गए मैले-कुचैले चिथड़ों से या कपड़ों के मैले-कुचैले टुकड़ों से (जिन्हें या तो रिहायशी मकामों से या सड़कों से या मलबे-कचरे में से एकत्र किया गया हो), या परिधानों के ऐसे फटे-चिथे टुकड़ों या कपड़ों के मैले-कुचैले टुकड़ों से लिए गए मैले चिथड़ों से बना हो ।

स्पष्टीकरण 2.—क्रम सं० 3 के प्रयोजनों के लिये कागज की सफेदी बढ़ाने के लिए रंग का डाला जाना कागज को रंजित या आभायित करना नहीं समझा जाएगा

[सं० 25/74]

G. S. R. 60 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, specified in column (1) of the Table below, for the expressions specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, wherever they occur in the said notifications, the expressions specified in the corresponding entries in column (3) thereof shall be substituted.

THE TABLE

Notification Nos. and date	For	Substitute
(1)	(2)	(3)
No. 43/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973 and No. 44/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	(i) "paper, all sorts, other than straw board and mill board"	"paper, all sorts, other than waxed paper, polyethylene coated paper, polyethylene coated board, solid fibre board, corrugated board, straw board and mill board"
	(ii) "Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964"	"Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 24/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1974.

[No. 26/74]

सा० का० नि० 60 (अ).—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की उन अधिसूचनाओं में जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट पदों के लिये, जहां कहीं भी वे उक्त अधिसूचनाओं में आए हों, वे पद प्रतिस्थापित किए जाएंगे जो उस सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रतिष्ठयों में विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

अधिसूचना सं० और तारीख	निम्नलिखित के लिए	निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए
(1)	(2)	(3)
सं० 43/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 और सं० 44/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973	(i) "गत्ते और मिल बोर्ड को छोड़कर सभी प्रकार के कागजों"	"मोमी कागज, पोलिएथीलीन कोटेड कागज, पोलिएथीलीन कोटेड पेपर, पोलिएथीलीन कोटेड बोर्ड, सालिड फाइबर बोर्ड, नालीदार बोर्ड स्ट्राबोर्ड और मिल बोर्ड से भिन्न सभी किस्म के कागज

(1)	(2)	(3)
(ii)	"वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 35/64 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964"	"वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 24/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974"।

2. यह अधिसूचना 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

[सं 26/74]

G.S.R.61(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Ex-Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry cise of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 46/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified, and subject to the conditions laid down, in the corresponding entries in the columns (3) and (4), respectively, of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Duty	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Solid fibre board falling under sub-item (4) of the aforesaid Item No. 17	Fifty paise per kilogram	Nil
2.	Pressed jute felt sheets	Fifty-five paise per kilogram	Nil
3.	Following varieties of paper, namely:—		
	(i) crepe paper	Nil	
	(ii) converted types of paper, commonly known as imitation flint paper or leatherette paper, or plastic coated paper, or by any other name, obtained by one side of paper being subjected to printing of colour, with or without design, irrespective of the fact whether or not such paper is subsequently varnished or glazed by chemicals or embossed, and falling under sub-item (4) of the aforesaid Item No. 17.	Nil	If it is proved to the satisfaction of the proper officer that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, has been already paid in respect of the paper used in their manufacture.
	(iii) Gummed paper obtained by gum being applied to one side of paper and falling under sub-item (4) of the aforesaid Item No. 17.	Nil	
	(iv) Metal coated paper.	Nil	

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Corrugated paper (other than corrugated board)	Nil	If — it consists of a single fluted sheet of paper and it manufactured out of paper on which the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, has been already paid.
5	Paper and paper board, falling under sub-item (3) of the aforesaid Item No. 17	Nil	If it is used within the factory of production for the manufacture of waxed paper, polyethylene coated paper or polyethylene coated board.

[No. 27 74]

सा० का० नि० 61(अ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 46/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आता है, उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित है, उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में दी गई है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पूर्वोक्त मद सं० 17 की उप-मद (4) के अन्तर्गत आने वाले ठोस तन्तु बोर्ड	पचास पैसे प्रति किलोग्राम	कुछ नहीं
2.	प्रेप्ड जूट केल्ट शीट	पचपन पैसे प्रति किलोग्राम	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)
2	निम्नलिखित प्रकार के कागज, अर्थात्		
	(i) क्रेप कागज	कुछ नहीं	
	(ii) सामान्यतः इमीटेशन क्रिलिन्ट कागज या लैदरकागज या प्लास्टिक लेबिल कागज या किसी अन्य नाम से जाने वाले सम्परिवर्तत प्रकार के कागज जिसे कागज के एक ओर रंगों को छपाई । डिजाइन सहित या डिजाइन के बगैर कर के प्राप्त किया गया हो, भले ही ऐसे कागज को बाद में रसायन द्वारा वार्निश किया गया हो या ग्लेज किया गया हो या एम्बौस किया गया हो या नहीं, और जो पूर्वोक्त मद सं० 17 की उप-मद (4) के अन्तर्गत आता हो ।	कुछ नहीं	यदि समुचित अधिकारी को समाधान प्रद रूप में यह सम्बित कर दिया जाए कि समुचित उत्पाद-शुल्क, या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उदग्राहणीय अतिरिक्त शुल्क, यथास्थिति, उनके उत्पादन में प्रयुक्त किए गए कागज की बाबत पहले ही दिया जा चुका हो ।
	(iii) कागज के एक ओर गोंद लगाकर प्राप्त किया गया गोंदी कागज जो पूर्वोक्त मद सं० 17 की उप-मद (4) के अन्तर्गत आता हो ।	कुछ नहीं	
4	नालीदार कागज (जो नालीदार बोर्ड से भिन्न हो)	कुछ नहीं	यदि उस में कागज का एकल खचित शीट है और वह ऐसे कागज से उत्पादित किया जाता है जिस पर, यथास्थिति उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले ही दिया जा चुका है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
5	पूर्वोक्त मद सं० 17 की उप-मद (3) के अन्तर्गत आने वाले कागज और पेपर बोर्ड ।	कुछ नहीं	यदि उसका प्रयोग मोमी कागज, पोलिएथीलीन छेपित कागज या पोलिएथीलीन लेपित बोर्ड के निर्माण के लिए उत्पादन-कारखाने के भीतर किया गया हो ।

[सं० 27/74]

G.S.R.62 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/72- Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In the said notification, in the Table, in S. No. 1,—

(a) for item (i) and the corresponding entries in columns 2 and 3 against that item, the following items and entries shall, respectively, be substituted, namely:—

	(2)	(3)
	'(i) of 84 or more counts . . .	2·50
	(ia) of 69 or more counts but less than 84 counts.	2·00";

(b) in items (ii), (iii), (iv), (v) and (vi), for the corresponding entries in column 3, the entries "1·75", "1·50", "1·00", "0·90" and "0·40" shall, respectively, be substituted

[No. 28/74]

सा० का० नि० 62(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 1 में, —

(क) मद सं० (i) और उस मद के सामने स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

	(2)	(3)
"(i)	84 काउन्ट का या अधिक का	2.50
(ia)	69 काउन्ट का या अधिक किन्तु 84 काउन्ट से कम का	2.00"

(ख) स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, मदों (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) में क्रमशः "1.75", "1.50", "1.00", "0.90", "0.40" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[28/74]

G.S.R.63(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 47/73- Central Excises, dated the 1st March, 1973, namely:—

In the said notification , in the Table,—

(1) in S. No. 1, in columns (2) and (3), for the brackets, words and figures,—

"(b) polyester fibre—

(A) of not more than 2 deniers 36·90

(B) of more than 2 deniers, ... 31·90".

the brackets, words and figures,—

"(b) polyester fibre shall be substituted; 40·00"

(2) in S. No. 3, in sub-items (i), (ii), (iii), (iv) and (v) of item (c), for the corresponding entries in column (3), the entries "55·00", "50·00", "45·00", "35·00" and "15·00" shall, respectively, be substituted.

[No. 29/74]

सा० का० नि० 63(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 47/73, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(1) क्रम सं० 1 में, स्तम्भ (2) और (3) में, —

"(ख) पोलिएस्टर का फाइबर—

(क) 2 डेनियर से अनधिक 36.90

(ख) 2 डेनियर से अधिक 31.90"

कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के लिए,—

"(ख) पोलिएस्टर फाइबर 40.00"

कोष्ठक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(2) क्रम संख्या 3 में, मद (ग) की उपमद (i), (ii), (iii), (iv) और (v) में, स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए क्रमशः, "55.00", "50.00", "45.00", "35.00" और "15.00" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं० 29/74]

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 115/73-Central Excises, dated the 30th April, 1973, namely:—

In the said notification, in the Table, for the entries in columns (2) and (3) against S. No. 2, the following entries shall be substituted, namely:—

(2)	(3)
"Any other mineral fibres or yarn whether continuous or otherwise, such as slag wool, rock wool and the like—	
(a) Slag wool—	
(i) resin-bonded slag wool . . .	0·90
(ii) other slag wool	0·20
(b) Others	Nil

[No. 30/74]

सा० का० नि० 64 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 115/73 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 2 के सामने स्तम्भ (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात :–

(2)	(3)
"कोई अन्य खनिज फाइबर या धागा, चाहें लगातार या अन्यथा, जैसे कि स्लैग ऊन, राक ऊन और इसी प्रकार का–	
(क) स्लैग ऊन–	
(i) रेजिन–बद्ध स्लैग ऊन	0.90
(ii) अन्य स्लैग ऊन	0.20
(ख) अन्य	कुछ नहीं "

[सं० 30/74]

GSR.65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 53/69- Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"THE TABLE

S. No.	Description	Rate
(1)	(2)	(3)
		Rupees per kilo-gram.
	Cotton twist, yarn or thread,—	
1	Of 29 or more counts but less than 34 counts, ...	2·00
2	Of 22 or more counts but less than 29 counts, ...	0·80
3	Of less than 22 counts.	0·60

[No. 31/74]

सा० का० नि० 65(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं 53/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के लिए, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
		रुपये प्रतिकिलोग्राम
	सूती बटा हुआ धागा या डोरा	
1.	29 या अधिक काउन्ट का किन्तु 34 से कम का काउन्ट का	2.00
2.	22 या अधिक काउन्ट का किन्तु 29 से कम काउन्ट का	0.80
3.	22 से कम काउन्ट का	0.60

[सं० 31/74]

G.S.R.66(E).—In pursuance of rule 96W of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 48/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, in the Table—

(1) Sl. No. 1 shall be renumbered as Sl. No. 1A and before Sl. No. 1A as so renumbered the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"1.	Yarn used in making cotton fabrics falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule	5·cc"

(2) in Sl. Nos. 1A as so renumbered, 2 and 3, for the corresponding entries in column (3), the entries "30·00", "20·00", and "10·00" shall, respectively, be substituted.

[No. 32/74]

सा० का० नि० 66(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96-ब के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 48/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(1) क्रम सं० 1 को क्रम सं० 1क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित 1क के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1.	पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद I (1) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक बनाने में प्रयोग में आने वाला धागा	5.00",

(2) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं० 1क, 2 और 3 में, स्तम्भ (3) में, तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिये क्रमशः "30.00" "20.00" और "10.00" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी।

[सं० 32/74]

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 50/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(1) Sl. No. 1 shall be renumbered as Sl. No. 1A and before Sl. No. 1A as so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"1	Cotton yarn contained in fents of fabrics falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule	0·30";

(2) In Sl. No. 1A as so re-numbered, 2 and 3, for the corresponding entries in column (3), the entries "4·00", "1·40" and "0·70" shall, respectively be substituted.

[No. 33/74]

सा० का० नि० 67(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 50/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, —

(1) क्रम सं० 1 को क्रम सं० 1क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम सं० 1क से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"1	पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद I (1) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों के टुकड़ों में लगा सूती धागा	0.30" ;

(2) इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम सं० 1क, 2 और 3 में स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए क्रमशः "4.00", "1.40" और "0.70" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी।

[सं० 33/74]

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 52/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(1) for Sl. No. 1 and the corresponding entries in columns (2), (3) and (4) against that Sl. No. the following Sl. Nos. and entries shall, respectively, be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"1	of 84 or more counts	0·90	2·50
1A	of 69 or more counts but less than 84 counts	0·90	2·00";

(2) in Sl. Nos. 2, 3, 4, 5 and 6, for the corresponding entries in column (4) the entries "1·75", "1·50", "1·00", "0·90" and "0.40" shall, respectively, be substituted.

[No. 34/74]

सा० का० नि० 68(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(1) क्रम सं० 1 के लिए और उस क्रम सं० के सामने स्तम्भ (2), (3) और (4) में, तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए क्रमश लिम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"1	84 काउन्ट का या अधिक का	0.90	2.50
1क	69 काउन्ट का या अधिक का किन्तु 84 काउन्ट से कम का	0.90	2.00";

(2) क्रम सं० 2, 3, 4, 5 और 6 में, स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमश: "1.75", "1.50", "1.00", "0.90", और "0.40", प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 34/74]

G. S. R. 69(E).—In pursuance of rule 96W of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in he notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 62/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(1) Sl. No. 1 shall be renumbered as Sl. No. 1A and before Sl. No. 1A as so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3
"1.	Yarn used in making cotton fabrics falling under sub-item 1(1) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule	5·00";

(2) in Sl. No. 1A as so renumbered, 2 and 3, for the corresponding entries in the column 3, the entries "30·00", "20·00" and "10·00" shall, respectively, be substituted.

[No. 35/74]

सा० का० नि० 69(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 62/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(1) क्रम सं० 1 को क्रम सं० 1क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम सं० 1क से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	(3)
"1.	पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद I (1) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक बनाने में प्रयोग में आने वाला धागा	5.00";

(2) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं० 1क, 2 और 3 में, स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः "30.00", "20.00", और "10.00" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं० 35/74)]

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 63/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(1) Sl. No. 1 shall be renumbered as Sl. No. 1A and before Sl. No. 1A as so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"1	Yarn contained in fents of cotton fabrics falling under sub-item I(1) of Item No. 19 of the aforesaid Schedule	Thirty paise";

(2) in Sl. Nos.1A as so re-numbered, 2 and 3 in cloumn (3), for the corresponding entries under the heading "per kilogram", the entries "Four rupees", "one rupee and forty paise" and "seventy paise" shall, respectively, be substituted'.

[No. 36/74]

सा० का० नि० 70(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 63/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, —

(1) क्रम सं० 1 को क्रम सं० 1क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं० 1क से पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1.	पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद I (1) के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिकों के टुकड़ों में लगा धागा	तीस पैसे";

(2) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं० 1क, 2 और 3 में, स्तम्भ (3) में शीर्षक "प्रति किलोग्राम" के नीचे की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः "चार रुपय", "एक रुपया और "पचास पैसे" और "सत्तर पैसे", प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 36/74]

G. S. R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 168/72—Central Excises, dated the 24th July, 1972, namely :—

In the said notification, in the Table,—

(a) —in S. No. 1, in column (2), for the words, "yarn containing partly synthetic staple fibre of non-cellulosic origin other than acrylic fibre and partly any other fibre or fibres", the words "yarn containing partly synthetic staple fibre of non-cellulosic origin and partly wool" shall be substituted.

(b) after Sl. No. 1, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3
"1A	Yarn containing partly synthetic staple fibre of non-cellulosic origin and partly any other fibre or fibres (excluding wool), if the non-cellulsic fibre content, by weight, of such yarn is—	
	(i) 50 per cent or more	15·00
	(ii) less than 50 per cent. but not less than 25 per cent.	12·00
	(iii) less than 25 per cent but more than 10 per cent.	10·00
	(iv) 10 per cent or less	7·50";

(c) in S. No. 2, in column (2), the words,—

(i) "and/or synthetic staple fibre of non-cellulsic origin", and

(ii) "non-cellulosic fibre content and /or" shall be omitted ;

(d) in S. No. 5,

(1) for item (i) and the corresponding entries in columns (2) and (3) against that item the following items and entries shall, respectively, be substituted, namely :

2	3
"(i) of 84 or more counts	2·50
(ia) of 69 or more counts but less than 84 counts	2·00";

(2) in items (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) for the corresponding entries in column (3), the entries "1.75", "1.50", "1.00", 0·90" and "0.40" shall, respectively, be substitued.

[No. 37/74]

सा० का० नि० 71 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 168/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जुलाई, 1972 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 1 में, स्तम्भ (2) में, "सूत, जिसमें भागतः एक्रिलिक तन्तु से भिन्न असैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा-तन्तु और भागतः कोई अन्य तन्तु हो या हों" शब्दों के लिए, "सूत, जिस में भागतः असैलूलोसी उदभव का संश्लिष्ट रेशा तन्तु और भागतः ऊन हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

(ख) क्रम सं० 1 और उस से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्।—

(1)	(2)	(3)
"1क	सूत, जिस में भागतः असैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा तन्तु और भागतः कोई अन्य तन्तु हो या हों, (ऊन को छोड़कर), यदि ऐसे धागे की असैलूलोसी फाइबर की मात्रा—	
	(i) 50 प्रतिशत या उस से अधिक हो	15.00
	(ii) 50 प्रतिशत से कम, किन्तु 25 प्रतिशत से कम न हो	12.00
	(iii) 25 प्रतिशत से कम किन्तु 10 प्रतिशत से अधिक हो	10.00
	(iv) 10 प्रतिशत या उससे कम हो	7.50" ;

(ग) क्रम सं० 2 में, स्तम्भ (2) में,—

(i) "और/या असैलूलोसी उद्भव का संश्लिष्ट रेशा तन्तु
और

(ii) "उसके असैलूलोसी तन्तु की मात्रा और/या"
शब्दों को निकाल दिया जाएगा ।

(घ) क्रम सं० 5 में,—

(1) मद (1) और उस मद के सामने स्तम्भ (2) और (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(2)	(3)
"(i) 84 काउन्ट का या अधिक का	2.50
(ii) 69 काउन्ट का या अधिक का किन्तु 84 काउन्ट से कम का	2.00";

(2) मद (ii), (iii), (iv), (v) और (vi), में स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः "1.75", "1.50", "1.00", "0.90", और "0.40", प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 37/74]

G. S. R. 72 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 88/69 Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification,—

(1) in the First Table thereto annexed—

(i) in S. No. 1, for the corresponding enriees in column (3) against items (d), (e), (f), and (g), the entries "51·0", "56·0", "74·0", and "79·0", shall, respectively, be substituted;

(ii) in S. No. 2, for the corresponding entrries in column (3), against items (d), (e), (f) and (g) the entries "50·0", "55·0", "73·0", and "78·0" shall, reapectively, be substituted;

(iii) in S. No. 3, for the corresponding entries in column (3), against items (d), (e), (f) and (g), the entries "25·0", "27·5", "47·0"and "49.5" shall, respectively, be substituted;

(2) in the Soeond Table thereto annexed,—

(A) for the corresponding en·ries in columns (4), (5), (6) and (7) against,—

(*i*) item (a) of S. No. 3, the entries "33·0", "41·0", "39·0" and "44.0" shall, respectively, be substituted;

(*ii*) item (b) of S. No. 3, the entries "19·0", "22.0" "25.0" and "25.0" shall, respectivly, be substituted;

(*iii*) item (a) of S. No. 4, the entries "38·0", "46·0", "44·0" and "49·0" shall, respectively, be substituted;

(*iv*) item (b) of S. No. 4, the entries "21·5", "24.5", "27·5" and "27·5" shall, respectively, be substituted ;

(*v*) item (a) of S. No. 5, the entries "53·0", "62.5", "62.0" and "67·0" shall, respectively, be substituted ;

(*vi*) item (b) of S. No. 5, the entries "38·0", "42·5", "47·0" and "47.0" shall, respectively, be substituted ;

(*vii*) item (a) of S. No. 6, the entries "58·0", "67·5" "67.0" and "72·0" shall, respectively, be substituted ;

(*viii*) item (b) of S. No. 6, the entries "40.5" "45.0" "49·5" and "49·5", shall, respectively, be substituted ;

(ix) item (a) of S. No. 8, the entries "25·0", "27·0", "29·0" and "29·0" shall, respectively, be substituted ;

(x) item (b) of S. No. 8, the entries "17·5", "20·5", "22·5" and "22·5" shall, respectively, be substituted ;

(*xi*) item (a) of S. No. 9, the entries "30·0", "32·0", "34·0" and "34·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xii*) item (b) of S. No. 9, the entries "20·0", "23·0", "25·0" and "25·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xiii*) item (a) of S. No. 10, the entries "45·0", "48·5", "52·0" and "52·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xiv*) item (b) of S. No. 10, the entries "36·5", "41·0", "44·5" and, "44.5" shall, respectively, be substituted ;

(*xv*) item (a) of S. No. 11, the entries "50·0", "53·5", "57·0" and "57·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xvi*) item (b) of S. No. 11, the entries "39·0", "43·5", "47·0" and "47·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xvii*) item (a) of S. No. 12, the entries "25·0", "27·0", "29·0" and "29·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xviii*) item (b) of S. No. 12, the entries "17·5", "20·5", "22·5" and "22·5" shall, respectively, be substituted ;

(*xix*) item (a) of S. No. 13, the entries "45·0", "48.5" "52·0" and "52·0" shall, respectively, be substituted ;

(xx) item (b) of No. 13, the entries "36·5" "41·0", "44·5" and "44.5" shall, respectively be substituted ;

(*xxi*) item (a) of S. No. 15, the entries "20·0", "21·5", "23·0" and "23·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xxii*) item (b) of S. No. 15, the entries "19·0", "20·5", "22·0" and "22·0" shall respectively, be substituted ;

(*xxiii*) item (a) of S. No. 16, the entries "25·0" "26·5" "28·0" and "28·0" shall, respectively, be substituted ;

(*xxiv*) item (b) of S. No. 16, the entries "21·5", "23·0", "24·5" and "24·5" shall, respectively, be substituted ;

(B) in S. No. 17,—

(*i*) in item (a) for the brackets, words and letter "(Superfine, fine or Medium-A)" the brackets and words "(Superfine or fine)" shall be substituted ;

(*ii*) in item (a) as so amended for the corresponding entries in columns (4), (5) (6) and (7), the entries "20·0", "21·5", "23·0" and "23·0" shall, respectively, be substituted ;

(*iii*) after item (a) and the entries relating thereto as so amended, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"(aa)	Mercirised or/and water proofed, whether rot-proofed or not (including rubbished) and printed (Medium-A).	Processed in any other manner including shrink-proofed and/or organdie processed,	19·0	20·5	22·0	22·0"

(3) in the second proviso (below the Second Table),—

(a) in clause (f),—

(*i*) in sub-clause (*i*), for the words "twenty-paise", the words "twenty-five paise" shall be substituted,

(*ii*) in sub-clause (*ii*), for the words "ten paise", the words "twenty and a half paise shall be substituted ;

(b) in sub-clause (*i*), for the words "twenty-two paise", the words "twenty seven and a half paise" shall be substituted ;

(*iii*) in sub-clause (*ii*) for the words "twelve paise" the words "fifteen paise" shall be substituted ;

[No. 38/74]

सा० का० नि० 72 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 33/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 1 मार्च, 1969 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) उससे उपाबद्ध प्रथम अनुसूची में,—

(i) क्रम सं० 1 में, स्तम्भ (3) में मद (घ), (ङ), (च) और (छ) के सामने की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिये, क्रमशः "51.0", "56.0", "74.0" और "79.0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ii) क्रम संख्या 2 में, स्तम्भ (3) में मद (घ), (ङ), (च) और (छ) के सामने की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः "50.0", "55.0", "73.0", और "78.0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(iii) क्रम सं० 3 में, स्तम्भ (3) में मद (घ), , (ङ), (च) और (छ) के सामने की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः, "25.0", "27.'5', "47.0" और "49.5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी —;

(2) उससे उपाबद्ध दूसरी सारणी में,—

(क) स्तम्भ (4), (5), (6) और (7), के सामने की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए—

(i) क्रम सं० 3 की मद (क) के सामने, क्रमशः "33·0", "41·0", "39·0" और "44·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ii) क्रम सं० 3 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "19·0", "22·0", "25·0" और "25·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(iii) क्रम सं० 4 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "38·0", "46·0" "44·0" और "49.0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(iv) क्रम सं० 4 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "21·5", "24·5", "27·5" और "27.5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

(v) क्रम सं० 5 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "53·0", "62·5", "62·0", और "67·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(vi) क्रम सं० 5 की मद (ख) के सामने, क्रमशः "38·0", "42·5", "47·0" और "47·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(vii) क्रम सं० 6 की मद (क) के सामने, क्रमशः "58·00", "67·5", "67·0" और "72·0" प्रविष्टियां तिस्थापित की जाएंगी;

(viii) क्रम सं० 6 की मद (ख) के सामने, क्रमश. "40·5", "45·0", "49·5" और "49·5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ix) क्रम सं० 8 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "25·0", "27·0", "29·0" और "29·0", प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएँगी ;

(x) क्रम सं० 8 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "17·5", "20·5", "22·5" और "22·5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xi) क्रम सं० 9 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "30·0", "32·0", "34·0", और "34·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xii) क्रम सं० 9 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "20·0", "23·0", "25·0", और "25·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xiii) क्रम सं० 10 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "45·0", "48·5", "52·0", और "52·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xiv) क्रम सं० 10 की मद (ख) के सामने, क्रमशः "36·5", "41·0", "44·5", और "44·5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xv) क्रम सं० 11 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "50·0", "53·5", "57·0" और "57·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xvi) क्रम सं० 11 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "39·0", "43·5", 47·0" और "47·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xvii) क्रम सं० 12 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "25·0", "27·0", "29·0" और "29·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xviii) क्रम सं० 12 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "17·5", "20·5", "22·5" और "22·5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xix) क्रम सं० 13 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "45·0", "48·5", "52·0" और "52·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xx) क्रम सं० 13 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "38·5", "41·0", "44·5" और "44·5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxi) क्रम सं० 15 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "20·0", "21·5", "23·0" और "23·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xxii) क्रम सं० 15 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "19·0", "20·5", "22·0" और "22·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(xxiii) क्रम सं० 16 की मद (क) के सामने, क्रमशः, "25·0", "26·5", "28·0", "28·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(xxiv) क्रम सं० 16 की मद (ख) के सामने, क्रमशः, "21·5", "23·0", "24·5" और "24·5" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ,

(ख) क्रम सं० 17 में,—

(i) मद (क) में "(सुपरफाइन, फाइन या मध्यम-क)" कोष्ठकों, शब्दों और अक्षर के लिए, "(सुपरफाइन या फाइन)" कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार संशोधित मद (क) में, स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः, "20·0", "21·5", "23·0", और "23·0" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(iii) मद (क) और इस प्रकार संशोधित उस से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"(कक)	मरसिराइज्ड अथवा/और जलसह चाहे वे गिलनसह हों या नहीं (रबड़कृत को सम्मिलित करते हुए) और जो छपी हुई हों (मध्यम-क)	किसी अन्य रीति से प्रसंस्कृत, संकुचनसह को सम्मिलित करते हुए और/या प्रसंस्कृत अरगंडी	19·0	20·5	22·0	22·0"

3. द्वितीय परन्तुक में (दूसरी सारणी के नीचे),—

(क) खंड (च) में,—

(i) उपखंड (i) में, "बीस पैसे" शब्दों के लिए, "पचास पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) में, "दस पैसे" शब्दों के लिए, "साढ़े बारह पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (क) में,—

(i) उपखंड (i) में, "बाइस पैसे" शब्दों के लिए, , "साढ़े सताइस पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) में , "बारह पैसे" शब्दों के लिए , "पन्द्रह पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

[सं० 38/74]

G. S. R. 73E.—In pursuance of rule 96-ZP of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 158/73-Central Excises, dated the 1st August, 1973, namely :—

In the said notification, in the Table annexed thereto—

(1) in Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Rs. 4,500.00" shall be substituted;

(2) in Sl. No. 2, for the entry in column (3), the entry "Rs. 5,000.00" shall be substituted

[No. 39/74]

सा० का० नि० 73(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यत के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 158/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, उससे उपाबद्ध सारणी में,—

(1) क्रम सं० 1, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के लिये, "4,500·00 रुपये" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी ;

(2) क्रम सं० 2 में, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के लिये, "5,000.00 रुपये" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायगी ;

[39/74]

G.S.R.74(E)—In exercises of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 53/73—Central Excises, dated the Ist March, 1973, namely to

In the said notification in the Table annexed there,—

(1). In S. No. 1, in item (c), for the corresponding entries in columns (3) and (4), the entries "5.20" and "2.60" shall, respectively, be substituted ;

(2). In S. No. in item (c), for the corresponding entries in columns (3) and (4), the entries "2.60" and "1.30" shall respectively, be substituted ;

(3). In S. No. 3, in item (c), for the corresponding entries in columns (3) and (4), the entries "0·65" "and 0·35" shall respectively, be substiuted.

[No. 40/74]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 74(अ).—केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 53/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, उससे उपाबद्ध सारणी में,—

(1) क्रम सं० 1 में, मद (ग) स्तम्भ (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिए क्रमशः "5·20" और "2.60" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(2) क्रम सं० 2 में, मद (ग) में, स्तम्भ (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिये क्रमश "2 60" और "1.30" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(3) क्रम सं० 3 में, मद (ग) मे, स्तम्भ (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों के लिये, क्रमशः "0.65" और "0.35" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 40/74]

बालकृष्ण अग्रवाल, अवर सचिव, ।

G.S.R. 75 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts mosaic tiles, falling under Item No. 23D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 41/74]

सा० का० नि० 75 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद सं० 23-घ के अन्तर्गत आने वाली मोजेक टाइलों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 41/74]

G.S.R. **76(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts steel ingots, falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) in the manufacture of which fresh unused duty paid steel melting scrap is used in admixture with other materials, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise, or the additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, and proved to the satisfaction of the proper officer to have been paid on such steel melting scrap.

[No. 42/74]

सा० का० नि० 76 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत आने वाली इस्पात मिल्लियों को जिनके निर्माण में नई अप्रयुक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप, जिस पर शुल्क दिया जा चुका है, अन्य पदार्थों के मिश्रण के साथ इस्तेमाल की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना, यथास्थिति उत्पाद-शुल्क के या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2 क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के बराबर हो और जिसके बारे में समुचित अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित किया गया हो कि वे उक्त इस्पात पिघलन स्क्रैप पर अदा कर दिए गए हैं छूट देती है।

[सं० 42/74]

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, and, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 68/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts iron or steel products, falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
1	2	3
		Rupees per metric tonne
1.	All products falling under sub-item (*ii*) of Item No. 26AA, except uncoated plates, galvanised forms and galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated—	
	(*a*) cold rolled sheets	325·00
	(*b*) others	225·00
2.	Uncoated plates	175·00
3.	Galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated	425·00
4.	Flats—	
	(*a*) not exceeding 5 millimetres in thickness	225·00
	(*b*) exceeding 5 millimetres but not exceeding 10 millimetres in thickness	175·00
	(*c*) exceeding 10 millimetres in thickness	165·00
5.	Skelp	325·00
6.	Strips—	
	(*a*) strips of iron and steel not below 5 millimetres but not exceeding 10 millimetres in thickness and of not less than 600 millimetres in width	175·00
	(*b*) other cold rolled strips	325·00
	(*c*) other hot rolled strips	225·00
7.	Seamless pipes and tubes	175·00

Provided that where the products mentioned in the Table are made from steel ingots, or, as the case may be, from semi-finished steel, on which duty at the appropriate rate has already been paid the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the Table shall be reduced by Rs. 100·00 or Rs. 165·00 per metric tonne according as they are made from such duty paid steel ingots or duty paid semi-finished steel, respectively.

[No. 43/74]

सा० का० नि० 77(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 68/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 को अधिक्रान्त करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26कक के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात के उत्पादों को, जो

इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

(1)	(2)	(3)
		रुपये प्रति मीटरी टन
1.	मद सं० 26 कक की उपमद (ii) के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पाद, सिवाए सभी प्रकार की अलेपित प्लेटों, गैल्वैनाइज्ड रूपों और गैल्वैनाइज्ड प्लेटों और शीटों के और जिन उत्पादों के अन्तर्गत हैं—सादी और नालीदार—	
	(क) कोल्ड रोल्डशीटें	325.00
	(ख) अन्य	225.00
2.	अलेपित रोल्ड प्लेटें	175.00
3.	गैल्वैनाइज्ड प्लेटें और शीटें, सभी प्रकार की, सादी और नालीदार को सम्मिलित करते हुये	425.00
4.	प्लेटें—	
	(क) मोटाई में 5 मिलीमीटर से अनधिक	225.00
	(ख) मोटाई में 5 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 10 मिलीमीटर से अनधिक	175.00
	(ग) मोटाई में 10 मिलीमीटर से अनधिक	165.00
5.	स्कैल्प	325.00
6.	पत्ती—	
	(क) मोटाई में 5 मिलीमीटर से अन्यून किन्तु 10 मिलीमीटर से अनधिक और चौड़ाई में कम से कम 600 मिलीमीटर वाली लोहे और इस्पात की पत्तियां	175.00
	(ख) अन्य कोल्ड रोल्ड पत्तियां	325.00
	(ग) अन्य हाट रोल्ड पत्तियां	225.00
7.	सीवनहीन पाइप और ट्यूब	175.00

परन्तु जहां सारणी में उल्लिखित उत्पाद ऐसी इस्पात सिल्लियों या अर्ध परिरूपित इस्पात से, जैसी भी स्थिति हो, जिस पर समुचित दर से शुल्क पहले ही दे दिया गया है, बनते हैं वहां सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क में प्रति मीटरी टन 100.00 रु० या 165.00 कमी इस बात के अनुसरण में की जायगी कि वे क्रमशः ऐसी इस्पात की सिल्लियों से जिस पर शुल्क दे दिया गया है या ऐसे अर्ध परिरूपित इस्पात से जिस पर शुल्क दे दिया गया है, बनाई गई है।

[सं० 43/74]

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby fixes for electrical stampings and laminations of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and chargeable with duty *ad valorem* under Item No. 28A of the First Schedule to the said Act, the tariff value specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Tariff value per kilogram
1	2	3
		(Rupees)
1	Electrical stamping and laminations manufactured out of grain oriented steel sheets	14
2	Other electrical stampings and laminations . . .	10

Provided that nothing contained in this notificaton shall apply to electrical stamping and laminations which are generally used in chokes, transformers,[other than,-(*i*) transformers for power transmission and distribution and of rating 1000 kilovolt amperes or above, (*ii*) current transformers of rated primary current 500 amperes or above, (*iii*) potential transformers of rated primary voltage 1000 volts or above], measuring instruments and electronic equipments.

[No. 44/74]

सा० का० नि० 78(अ).—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के विद्युत स्टाम्पिंग्स और पटलनों के लिये जिन पर उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28क के अधीन मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य है, वह टैरिफ मूल्य नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	टैरिफ मूल्य प्रति किलोग्राम
(1)	(2)	(3)
		रुपये
1.	रेणुदिष्ट इस्पात शीटों से विनिर्मित विद्युत स्टाम्पिंग्स और पटलन	14
2.	अन्य विद्युत स्टाम्पिंग्स और पटलन	10

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात ऐसे विद्युत स्टाम्पिंग्स और पटलनों को लागू नहीं होगी जो सामान्यतः चोकी, ट्रांसफार्मरों, (जो (i) शक्ति पारेषण और वितरण के लिये उन ट्रांसफार्मरों से, जिनकी रेटिंग 1000 किलोवाट एम्पियर या उससे ऊपर हो, (ii) 500 एम्पियर या उससे ऊपर के अनुमत प्रारम्भिक करेन्ट ट्रांसफार्मरों से, (iii) 1000 वोल्ट या उससे ऊपर अनुमत प्रारम्भिक वोल्टेज के विभव ट्रांसफार्मरों से भिन्न हों) मापक उपकरणों और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों में उपयोग में लाये जाते हैं ।

[सं० 44/74]

G.S.R.79(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 49 70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, the Central Government h reby exempts refrigerators falling under sub item(1) of Item No. 29A of the First Schedule) the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description spcified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1	Domestic Refrigerators of a capacity not exceeding 100 litres.	Forty per cent *ad valorem*
2	Domestic Refrigerators of a capacity exceeding 100 litres but not exceeding 165 litres.	Fifty per cent *ad valorem*

[No. 45/74]

सा० का० नि० 79(अ) —केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के वित्त मत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना स० 49/70 उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 को अधिक्रान्त करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद स० (2) मे 29 क की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाले तथा उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट वर्णन रेफ्रिजिरेटरो को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद–शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियो मे विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	100 लिटर से अनधिक की क्षमता वाले घरेलू रेफ्रिजरेटर	चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	100 लिटर से अधिक किन्तु 165 लिटर से अनधिक की क्षमता वाले घरेलू रेफ्रिजरेटर	पचास प्रतिशत मूल्यानुसार

[45/74]

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), o. 90 -Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts wireless receiving sets [other than (i) radiograms, (ii) radios with extra space in cabinet for fitting in record players or record changes, and (iii) broadcast television receiver sets] falling under Item No 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviahle thereon as is in excess of the amount specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Amount of duty
(1)	(2)
	(Rupees per Set)
Set, the price of which at the point of sale to the consumer—	
(i) does not exceed Rs. 165	Twelve
(ii) exceeds Rs. 165 but does not exceed Rs. 225	Twenty-four
(iii) exceeds Rs. 225 but does not exceed Rs. 300	Forty
(iv) exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 375	Sixty
(v) exceeds Rs. 375 but does not exceed Rs. 475	Ninety
(vi) exceeds Rs. 475 but does not exceed Rs. 575	One hundred and twenty
(vii) exceeds Rs. 575 but does not exceed Rs. 675	One hundred and sixty
(viii) exceeds Rs. 675	Two hundred.

Provided that sets specified in the above Table and the price of each of which at the point of sale to the consumer does not exceed Rs. 225, shall be wholly exempt from the duty of excise leviable thereon, if they are manufactured in an industrial unit in respect of which the Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only, installed therein, on the date of initial installation of the plant and machinery is not more than Rs. 7.5 lakhs.

Explanation.—In calculating the price of any wireless receiving set, for the purpose of this notification, the element of excise duty or sales tax or both, if any, added to the price of such set shall not be taken into account.

[No. 46/74]

सा० का० नि० 80(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 90/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिक्रान्त करते हुये, केन्द्रीय सरकार वायरलेस रिसीविंग सेटों को [जो (i) रेडियोग्रामों से, (ii) ऐसे रेडियो से जिनके कैबिनेट में रिकार्ड प्लेयर या रिकार्डचेंजर लगाने के लिये अतिरिक्त स्थान हो, और (iii) ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसीवर सेटों से भिन्न हों] जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33 क के अन्तर्गत आते हैं और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

वर्णन	दर की रकम
(1)	(2)
	(रुपये प्रति सेट)
सेट, जिसका मूल्य उपभोक्ता को विक्रय के समय—	
(i) 165 रुपये से अधिक न हो	बारह
(ii) 165 रुपये से अधिक हो किन्तु 225 रुपये से अधिक न हो	चौबीस
(iii) 225 रु० से अधिक हो किन्तु 300 रु० से अधिक न हो	चालीस

(1)	(2)
(iv) 300 रु० से अधिक हो किन्तु 375 रु० से अधिक न हो	साठ
(v) 375 रु० से अधिक हो किन्तु 475 रु० से अधिक न हो	नब्बे
(vi) 475 रु० से अधिक हो किन्तु 575 रु० से अधिक न हो	एक सौ बीस
(vii) 575 रु० से अधिक हो किन्तु 675 रु० से अधिक न हो	एक सौ आठ
(viii) 675 रु० से अधिक हो	दो सौ

परन्तु उन सेटों को जो ऊपर की सारणी में विनिर्दिष्ट हैं तथा जिनमें से प्रत्येक का मूल्य उपभोक्ता को विक्रय के समय 225 रु० से अधिक नहीं है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से पूरी पूरी छूट प्राप्त होगी यदि वे ऐसे किसी औद्योगिक एकक में विनिर्मित हैं जिसका बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो गया है कि संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख को वहां प्रतिष्ठापित केवल संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनियोजन 7.5 लाख रु० से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, किसी वायरलेस रिसीविंग सेट का मूल्य संगणित करने में, यदि उत्पाद शुल्क या विक्रय कर या दोनों यदि कोई हों, ऐसे सेट के मूल्य से जोड़ दिये गये हैं तो यह तथ्य लेखे में नहीं लिया जायेगा ।

[सं० 46/74]

G.S.R.81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and, in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), Nos. 92/72-Central Excises and 94/72-Central Excises, both dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts motor vehicles of the description specified in column (3) of the Table below and falling under such sub-items of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as are specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (4) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Sub-item No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(1)	Autocycles, motor cycles, scooters, autorickshaws and any other three wheeled motor-vehicles.	Nine per cent. *ad valorem*
2	(2)	Motor vehicles of not more than 16 H.P. by Royal automobile Club (R.A.C.) rating—	
		(a) vehicles with body . . .	Twenty per cent. *ad valorem.*
		(b) others (including chassis whether or not with cab)	Twenty-five per cent. *ad valorem*
3	(4)	Motor vehicles, not otherwise specified. .	Twelve and a half per cent. *ad valorem.*

[No. 47/74]

सा० का० नि० 81(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 9/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 94/72-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (दोनों ही) 17 मार्च, 1972, को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकार के मोटर यानों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 की उन उप-मदों के अन्तर्गत आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक हैं, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	उप-मद सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1)	आटोसाइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, आटोरिक्शा और तीन पहियों वाले कोई अन्य मोटर यान	नौ प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	(2)	रायल आटोमोबाइल क्लब (आर० ए० सी०) की रेटिंग से 16 अश्वशक्ति से अधिक के मोटर यान	
		(क) बाडी सहित यान	बीस प्रतिशत मूल्यानुसार
		(ख) अन्य (जिनके अन्तर्गत चेसियां भी हैं चाहे वे कैब से लगीं हों या न लगीं हों)	पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	(4)	मोटर यान, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	साढ़े बारह प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 47/74]

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 98/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts exposed cinematograph films of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II(2) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3), column 4(a) or 4(b) thereof, as the case may be.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Amount of duty for films which are below 30 milli-metres in width	Amount of duty for films which are of a width 30 milli-metre or above, and	
			Not exceeding 4000 metres in length	Exceeding 4000 metres in length
(1)	(2)	(3)	4(a)	4(b)
		paise per metre	paise per metre	paise per metre
I.—Films made in Black and White				
1.	Cleared for home consumption within twelve months from the date of certification by the Central Board of Film Censors :—			
	(i) First 12 prints of each picture	Nil	Nil	Nil
	(ii) Next 8 prints of each picture	10	15	20
	(iii) Next 15 prints of each picture	15	25	40
	(iv) Next 15 prints of each picture	25	40	60
	(v) Next 25 prints of each picture	40	60	85
	(vi) On the balance	60	80	100
2.	Cleared for home consumption after twelve months from the date of certification by the Central Board of Film Censors.	Nil	Nil	Nil
II.—Films made in colour				
	Cleared for home consumption within twelve months from the date of certification by the Central Board of Film Censors :—			
	(i) First 12 prints of each picture	Nil	Nil	Nil
	(ii) Next 8 prints of each picture	10	15	20
	(iii) Next 15 prints of each picture	20	25	40
	(iv) Next 15 prints of each picture	35	50	75
	(v) Next 10 prints of each picture	60	90	125
	(vi) On the balance	85	150	200
2.	Cleared for home consumption after twelve months from the date of certification by the Central Board of Film Censors.	Nil	Nil	Nil

Provided that for determining the rate of duty applicable for any print of a film under this notification, the number of prints of the said film already cleared under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 93/72—Central Excises, dated the 17th March, 1972, shall be taken into account:

Provided further that if a film is made partly in black and white and partly in colour—

(i) the lengths made in black and white, and in colour, shall be assessed separately at the rate applicable, respectively, to films in black and white or in colour, and

(ii) the total length of the film (including black and white, and colour) shall be the basis to determine whether assessment under each category is to be made at the rates specified in column 4(a) or 4(b) of the above Table.

Explanation For the purposes of this notification, the term 'length' does not include such portion of the films as contains the certificate issued by the Central Board of Film Censors in respect of that Film.

[No. 48/74[

सा०का०नि० 82 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा-विभाग) की अधिसूचना सं० 98/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उदभासित सिनेमा फिल्मों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आती है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना यथास्थिति सारणी के क्रमशः स्तम्भ 4(क) या 4(ख) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	30 मिलीमीटर से कम चौड़ी फिल्मों पर शुल्क की रकम	30 मिलीमीटर या अधिक चौड़ी फिल्मों पर शुल्क की रकम	
			यदि फिल्म 4000 मीटर से अधिक लम्बी न हो	यदि फिल्म 4000 मीटर से अधिक लम्बी हो
(1)	(2)	(3)	(4क)	(4ख)
		पैसे प्रति मीटर	पैसे प्रति मीटर	पैसे प्रति मीटर
I.	**कानी सकेत फिल्में**			
1.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात के बारह मासों के भीतर गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए —			
	(i) हर एक चित्र के प्रथम 12 प्रिंट पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) हर एक चित्र के अगले 8 प्रिंट पर . . .	10	15	20
	(iii) हर एक चित्र के अगले 15 प्रिंट पर . . .	15	25	40
	(iv) हर एक चित्र के अगले 15 प्रिंट पर . . .	25	40	60
	(v) हर एक चित्र के अगले 25 प्रिंट पर . . .	40	60	85
	(vi) अतिशेष पर . .	60	80	100

(1)	(2)	(3)	(4क)	(4ख)
2.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात के बारह मास के पश्चात गृह उपभोग के लिए निकासी की गई । . . .	कुछ नही	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	रंगीन फिल्में			
	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात के बारह मासो के भीतर गह-उपभोग के लिए निकासी की गई			
	(i) हर एक चित्र के प्रथम 12 प्रिट पर . . .	कुछ नही	कुछ नहीं	कुछ नही
	(ii) हर एक चित्र के अगले 8 प्रिट पर . . .	10	15	20
	(iii) हर एक चित्र के अगले 15 प्रिट पर . . .	20	25	40
	(iV) हर एक चित्र के अगले 15 प्रिट पर . . .	35	50	75
	(V) हर एक चित्र के अगले 10 प्रिट पर . . .	60	90	125
	(Vi) अतिशेष पर . .	85	150	200
2.	केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन के मास के ठीक पश्चात के बारह मास के भीतर गृह उपभोग के लिए निकासी की गई . . .	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही

परन्तु इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली किसी फिल्म के प्रिट के लिए लागू शुल्क की दर अवधारित करने में उक्त फिल्म की प्रिटों की उतनी संख्या लेखे में ली जाएगी जितनी की निकासी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 98/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 के उपबन्धों के अधीन की गई है :

परन्तु यह और भी कि यदि फिल्म भागत: सफेद-काली और भागत. रंगीन हो तो :

(i) सफेद-काली तथा रंगीन हिस्सों की लम्बाइयों का अलग अलग निर्धारण क्रमश: सफेद-काली या रंगीन फिल्मों को लागू दर से किया जाएगा; तथा

(ii) फिल्म की कुल लम्बाई (जिसमें सफेद-काली तथा रंगीन दोनों आती है) वह आधार होगी जिस पर यह अवधारित किया जाएगा कि प्रत्येक कोटि में निर्धारण ऊपर की सारणी के स्तम्भ 4(क) में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाना है या 4(ख) में

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "लम्बाई" शब्द के अन्तर्गत फिल्मों का वह भाग नहीं आता है जिसमें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा उस फिल्म के सम्बन्ध में दिया गया प्रमाण-पत्र रहता है ।

[सं० 48/74]

G.S.R. 83 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts exposed cinematograph films, falling under sub-item II(1) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and certified by the Central Board of Film Censors to be a documentary film, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 49/74]

सा० का० नि० 83 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 37 की उपमद II (1) के अन्तर्गत आने वाली उद्भासित सिनेमा फिल्मों में जिन्हें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने वृत्तचित्र वाली फिल्में प्रमाणित किया है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 49/74]

G.S.R. 84 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tape recorders (including cassette recorders) falling under Item No. 37AA of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if manufactured in an industrial unit in respect of which the Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only, installed therein, on the date of the initial installation of the plant and machinery is not more than Rs. 7.5 lakhs.

[No. 50/47]

सा० का० नि० 84 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37क के अन्तर्गत आने वाले टेप रिकार्डरों को (जिनके अन्तर्गत कैसेट रिकार्डर भी है), उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, यदि वे किसी ऐसे औद्योगिक एकक में विनिर्मित किए गए हों जिसकी बाबत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो गया है कि वहां संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख को संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी-विनियोजन 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है ।

[सं० 50/74]

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cutting tools, namely, files and rasps, hacksaw blades, twist drills, reamers and milling cutters falling under Item No. 51A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding rupees one lakh, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) this exemption shall not apply to any such cutting tools manufactured by a manufacturer if the total value of such cutting tools so cleared by such manufacturer during such financial year exceeds rupees two lakhs;

(ii) Where a factory producing such cutting tools is run at different times in any financial year by different manufacturers, the value of such cutting tools so cleared from such factory in any such financial year at nil rate of duty shall not exceed rupees one Lakh;

(iii) in the case of such cutting tools manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds rupees one lakh but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof upto a value not exceeding rupees one lakh ;

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 1st March, 1974, and ending on the 31st March, 1974, such cutting tools upto a value not exceeding ten thousand rupees subject to the condition that the value of such cutting tools cleared for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during that period does not exceed twenty thousand rupees.

[No. 51/74]

सा०का०नि० 85 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 51क के अन्तर्गत आने वाले एक लाख रुपये से अनधिक के मूल्य के कर्तन उपकरणों को, अर्थात रेतियों, सोहानों (मोटी रेतियों), लोहा-आरी के ब्लेडों, घूर्ण बरमों (ट्विस्ट ड्रिल), परिछिद्रकों (रीमर्स) और मिलिंग कटरों को, जिनकी निकासी एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात गृह उपभोग के लिए की गई हो, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

परन्तु—

(i) वह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे कर्तन उपकरणों को लागू नहीं होगी यदि ऐसे वित्तीय वर्ष में उस विनिर्माता द्वारा इस प्रकार निकासी किए गये उन कर्तन उपकरणों का कुल मूल्य दो लाख रुपये से अधिक हो;

(ii) जहां तक कर्तन उपकरणों का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो वहां, ऐसे कारखाने से और ऐसे किसी वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी किए गए कर्तन उपकरणों का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न होगा;

(iii) किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे कर्तन उपकरणों की दशा में जिसका ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी किया गया मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो, किन्तु दो लाख रुपये से अधिक न हो, वह छूट एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य की उसकी प्रथम निकासियों को ही लागू होगी;

परन्तु वह और भी कि विनिर्माता को 1 मार्च, 1974 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिए दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के कर्तन उपकरणों को इस शर्त के अधीन रहते हुए निकासी करने की अनुज्ञा होगी कि उस अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए ऐसे कर्तन उपकरणों का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक न हो ।

[सं० 51/74]

G. S. R. 86 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts permanent magnets, other than cast alloy permanent magnets (the alloy used in the manufacture of which contains, amongst other, nickel or cobalt, or both), and falling under Item No. 66 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 52/74]

सा०का०नि० 86(अ) ––केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप–नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 66 के अन्तर्गत आने वाले स्थायी मेगनेटों को, जो ढले धातु-मिश्रण के स्थायी मेगनेटों (जिनके विनिर्माण में प्रयुक्त धातु-मिश्रण में अन्य धातुओं के साथ, निकिल या कोबाल्ट, या दोनों हों) से भिन्न हों, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद–शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 52/74]

G. S. R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Centra Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, namely :—

1. No. 166/62-Central Excises, dated the 1st September, 1962
2. No. 51/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964
3. No 21/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969
4. No. 47/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969
5. No. 19/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970
6. No. 30/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970
7. No. 28/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972
8. No. 64/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972
9. No. 28/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973
10. No. 36/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973
11. No. 65/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973

[No. 53/74]

सा० का० नि० 87(अ).––केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व विभाग, राजस्व और बीमा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात :—

1. सं० 166/62 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1962
2. सं० 51/64 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964
3. सं० 21/69 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
4. सं० 47/69 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
5. सं० 19/70 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970
6. सं० 30/70 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970
7. सं० 28/72 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972
8. सं० 64/72 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972
9. सं० 28/73 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
10. सं० 36/73 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
11. सं० 65/73 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973

[सं० 53/74]

G. S. R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (5) of clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts all the goods set forth in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than those comprised in Items Nos. 1D, 4I, 4II(2), 4II(4), 14, 14C, 14D, 14DD, 14F, 14H 15A, 16A, 16AA, 16B, 18D, 22A(2), 23, 26, 26A, 26AA, 26B, 27 and 28 of the said Schedule, from the whole of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 22 of the Finance Bill, 1974.

[No. 54/74]

सा०का०नि० 88 (अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 22 के उपखंड (5), जो शुल्क करों के अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में दिये गये समस्त माल को, जो उक्त अनुसूची की मद सं० 1 घ, 4I, 4 II (2), 4 II (4), 14, 14ग, 14घ, 14घघ, 14ङ, 14ज 15क, 16क, 16ककक, 16ख, 18घ, 22क(2), 23, 26, 26क, 26ककक, 26ख, 27 और 28 में समाविष्ट से भिन्न हैं, वित्त विधेयक, 1974 के खंड 22 कर उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायिकी उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं 54/74]

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (5) of clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 54/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, the Central Government hereby, exempts the excisable goods falling under such items of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), as are specified in column (2) of the table hereto annexed, from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-clause(1) of clause 22 aforesaid, as is in excess of the duty specified in the corresponding entery in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Item No. in the First Schedule to the Central Excises Act.	Duty as percentage of duty leviable under the Central Excises Act, read with any notification for the time being in force issued under the said Act or the rules made thereunder
(1)	(2)	(3)
1	1D	Fifty
2	4I	Ten
3	4II(2)	Ten
4	4II(4)	Ten
5	14	Thirty three and one third
6	14C	Fifty
7	14D	Twenty
8	14DD	Twenty
9	14F	Fifty
10	14H	Twenty
11	15A	Twenty

(1)	(2)	(3)
12	16A	Twenty
13	16B	Ten
14	18D	Fifty
15	22A(2)	Fifty
16	23	Ten
17	26	Seventy-five
18	26A	Seventy-five
19	26B	Seventy-five
20	27	Thirty-three and one third
21	28	Fifty

Provided that the duty calculated at the percentages specified in column (3) of the said Table shall not in any case exceed twenty per cent. of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act.

[No. 55/74]

सा० का० नि० 89 (अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 22 के उपखंड (5), जो खंड करों के अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, और भारत सरकार की अधिसूचना सं० 54/74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की उन मदों के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, पूर्वोक्त खंड 22 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने सहायिकी उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं० केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची मद सं०	तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना, जो उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी की गई हो, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क के प्रतिशत के रूप में शुल्क

(1)	(2)	(3)
1	1घ	पचास
2	4 I	दस
3	4 II (2)	दस
4	4 II (4)	दस

(1)	(2)	(3)
5	14	तैंतीस और एक-तिहाई
6	14 ग	पचास
7	14घ	बीस
8	14 घ घ	बीस
9	14 च	पचास
10	14ज	बीस
11	15क	बीस
12	16क	बीस
13	16ख	दस
14	18घ	पचास
15	22क 2)	पचास
16	23	दस
17	26	पचहत्तर
18	26क	पचहत्तर
19	26 ख	पचहत्तर
20	27	तैंतीस और एक-तिहाई
21	28	पचास

परन्तु यह तब जब कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतों पर संगणित शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित ऐसे माल के मूल्य के बीस प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न हों ।

[सं० 55/74]

G.S.R.90(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (5) of clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 54/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, the Central Government hereby exempts iron or steel products, falling under Item No. 26A A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), and of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed, from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 22 aforesaid, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Duty as percentage of duty leviable under the Central Excises Act, read with any notification for the time being in force issued under the said Act or the rules made thereunder
(1)	(2)
Iron or steel products—	
(a) Skelp	Fifty
(b) All other iron or steel products .	Seventy-five

Provided that the duty calculated at the percentages specified in column (2) of the aforesaid Table shall not in any case exceed twenty per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act.

[No. 56/74]

सा० का० नि० 90(अ).—वित्त विधेयक 1974 के खंड 22 के उपखंड (5), जो खंड करों के अनन्तिम संग्रहण अधिनियय, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, और भारत सरकार की अधिसूचना सं० 54/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मद स 26क क के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात उत्पादो को जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के हैं, पूर्वोक्त खण्ड 22 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उदग्रहणीय उतने सहायिकी उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

वर्णन	तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना, जो उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमो के अधीन जारी की गई हो, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क के प्रतिशत के रूप में शुल्क
(1)	(2)
लोहे या इस्पात के उत्पाद	
(क) इस्पात पत्ती (स्केल्स)	पचास
(ख) लोहे या इस्पात के अन्य सभी उत्पाद	पचहत्तर

परन्तु यह तब जब कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) मे विनिर्दिष्ट प्रतिशतो पर सगणित शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धो के अनुसार अवधारित ऐसे माल के मूल्य के बीस प्रतिशत से किसी भी दशा मे अधिक न हो।

[सं० 56/74]

G.S R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub clause (5) of clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 54/74 Central Excises, dated the 1st March, 1974, the Central Government hereby exempts Synthetic Rubber of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under item No. 16AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 22 aforesaid, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Duty as percentage ot the Value of the goods determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act.
(1)	(2)
Synthetic rubber including Butadiene Acrylonitrile Rubber, Styrene Butadiene Rubber and Butyl Rubber, Synthetic Rubber latex, including prevulcanised Synthetic Rubber latex—	
(a) Styrene Butadiene Rubber—	
(i) S-1500 and S-1502 grades	5·5
(ii) S-1712 grade	6·25
(iii) S-1958 grade	20
(iv) Other grades	*Nil*
(b) All others	*Nil*

[No. 57/74]

सा० का० नि० 91(अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 22 के उपखंड (5), जो खंड करो के अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, और भारत सरकार की अधिसूचना सं० 54/74-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमे इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16 क क के अन्तर्गत आने वाले संश्लिष्ट रबड़ को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिष्ट वर्णन के हैं, पूर्वोक्त खंड 22 के उपखंड (1) के अधीन उनपर उदग्रहणीय उतने सहायिकी उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

वर्णन	माल के, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य के प्रतिशत के रूप मे शुल्क
(1)	(2)
संश्लिष्ट रबड़ जिसके अन्तर्गत बुटेडीन ऐक्रीलोनाइट्राइल रबड़, स्टाइरीन बुटेडीन रबड़ और बुटाइल रबड़, संश्लिष्ट रबड़ लैटेक्स, जिसके अन्तर्गत पूर्व-वल्कनीत संश्लिष्ट रबड़ भी है—	
(क) स्टाइरीन बुटेडीन रबड़—	
(i) एस-1500 और एस 1502 ग्रेड	5.5

(1)	(2)
(ii) एस-1712 ग्रेड	6.25
(iii) एस-1958 ग्रेड	20
(iv) अन्य ग्रेड	कुछ नही
(ख) अन्य सभी	कुछ नही

[सं० 57/74]

G S.R.92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Centra Excise Rules, 1944, read with sub-clause (5) of clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931). the force of law, the Central Government hereby exempts excisable goods specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 54/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, and in respect of which goods a notification under sub-rule (1) of rule 8 of the afor said rules has been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as "the intermediate products") used in their manufacture and which are specified in the respective notifications, from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon as is equivalent to the auxiliary duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

[No. 58/74]

सा० का० नि० 92 (अ) —वित्त विधयक 1974 के खड 22 के उपखड (5), जो खड करो के अनन्तिम सग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक मे की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना स० 54/74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 मे विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क माल को जिसकी बाबत पूर्वोक्त नियमो के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन एक अधिसूचना उस माल पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से उसे छूट देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है, जितना उसके विनिर्माण में प्रयक्त अन्य उत्पाद-शुल्क माल पर (जिसे इसमे इसके पश्चात् "मध्यवर्ती उत्पाद" कहा गया है), जो सबधित अधिसूचनाओ में विनिर्दिष्ट है, पहले ही दिये जा चुके उत्पाद-शुल्क की रकम के बराबर हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायकी उत्पाद-शुल्क से जितना सबधित अधिसूचनओ मे विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती उत्पादो पर पहले ही दिये जा चुके उत्पाद-शुल्क के बराबर है छूट देनी है ।

[स० 58/74]

G.SR. 93 (E) —In exercise of the powers conferred by rules 12, 12A and 191A of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to an auxiliary duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods to any country or territory outside India other than Nepal, Bhutan and Sikkim, the Central Government, by a notification under the said rule 12 and 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under the said rule 191A, as the case may be, has permitted the rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the auxiliary duty of excise shall also be made subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty

[No. 59/74]

सा० का० नि० 93(अ).—वित्त विधेयक 1974 के खंड 22 के उपखंड (5), जो खंड करों के अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12, 12 क और 191 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन सहायकी उत्पाद-शुल्क के अध्यधीन किया गया है और जहां ऐसे माल का भारत के बाहर के किसी देश या राज्य क्षेत्र को जो नेपाल, भूटान और सिक्कम से भिन्न हो, निर्यात करने पर, केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 और 12 क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने उक्त नियम 191 क के अधीन घोषणा द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिये गये उत्पाद-शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने की अनुज्ञा दी है, वहां सहायकी उत्पाद-शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों पर दिया जाएगा जो शर्तें उत्पाद-शुल्क के रिबेट को लागू हैं।

[सं० 59/74]

G.S.R.94(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944 read with clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to auxiliary duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191-B, permitted the manufacture of specified articles in bond from specified excisable goods, manufacture of such articles in bond from such excisable goods shall also be permissible for the purposes of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the aforesaid rule 191-B.

[No. 60/74]

सा० का० नि० 94(अ).—वित्त विधेयक 1974 के खंड 22 के उपखंड (5), जो खंड करों के अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन सहायकी उत्पाद-शुल्क दिये जाने के दायित्वधीन है और जहां केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 191 ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क माल से बन्धपत्राधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण की अनुज्ञा दी है वहां ऐसे उत्पाद-शुल्क माल से बन्धपत्राधीन ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण भी पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों लिये उन्हीं शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञे होगा जो पूर्वोक्त खंड 191 ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू होती है।

[सं० 60/74]

G.S.R.95(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-scetion (5) of section 28 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), the Central Government hereby exempts all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 28 of the Finance Act aforesaid, for the period commencing on the 1st March, 1974 and ending with the 31st March, 1974.

[No. 61/74]

सा० का० नि० 95(अ).—वित्त अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में वर्णित सभी माल को, पूर्वोक्त वित्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायिकी उत्पाद-शुल्क से, 1 मार्च, 1974 को आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट देती है।

[सं० 61/74]

G.S.R. 96(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of, the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of section 28 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—

1. No. 118/73-Central Excises, dated the 11th May, 1973.
2. No. 119/73-Central Excises, dated the 11th May, 1973.
3. No. 172/73-Central Excises, dated the 1st September, 1973.

[No. 62/74]

सा० का० नि० 96(अ).—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 28 की उप-धारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् –

1. सं० 118/73-केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 11 मई, 1973
2. सं० 119/73 केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 11 मई, 1973
3. सं० 172/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क , तारीख 1 सितम्बर, 1973

[सं० 62/74]

G. S. R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (2), against Serial No. 1,—

(i) for the entry "Photographic cameras", the following entry shall be substituted namely :—

"Photographic goods and apparatus falling under Item No. 37C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

(ii) the following entries shall be added at the end, namely:—

"Toothpaste (including dental cream).

Electrical stampings and laminations.

Tape recorders (including cassette recorders).

Permanent magnets.

Cutting tools, namely, files and rasps, Hacksaw blades, Twist drills, Reamers and Milling cutters".

[No. 63/74]

R. JAYARAMAN, Under Secy.

सा० का० नि० 97(अ).—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62-केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में, क्रम सं० 1 के सामने,–

(i) "Photographic cameras" प्रविष्टि के लिये, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"Photographic goods and apparatus falling under item No. 37C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

(ii) अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् —

"Toothpaste (including dental cream).
Electrical stampings and laminations.
Tape recorders (including cassette recorders).
Permanent magnets.
Cutting tools, namely, files and rasps, Hacksaw blades, Twist Drills, Reamers and Milling cutters."

[सं० 63/74]

आर० जयरामन, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 1st *March*, 1974

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table below, being goods mentioned in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 19 of the said Finance Bill as is in excess of the rate specified in column (3) of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification.

THE TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
(1)	(2)	(3)
1.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is 60 per cent. *ad valorem* or more but less than 100 per cent. *ad valorem*.	Fifteen per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is less than 60 per cent *ad valorem* or nil.	Five per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3.	Goods in respect of which duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is— (i) at a specific rate; or (ii) at a specific rate of *ad valorem* rate, whichever is less or higher, as the case may be; or (iii) at a specific rate and *ad valorem* rate.	Five per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4.	Crude petroleum falling under Item No. 27(10) of the said First Schedule.	Rs. 9·50 per metric tonne.

Explanation:—For the purposes of Sl. Nos. 1 and 2 in the above Table, the expression "the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India", in relation to any article liable to two or more different rates of duty, means that rate of duty which is the highest of those rates.

[No. 14/F. No. Bud(Cus)/74]

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली 1 मार्च, 1974

सा० का० नि० 98 (अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 19 के उपखंड (4), जो खाद करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित माल है, उस पर उक्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उतने सहायिकी सीमा-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत सहायिकी सीमा-शुल्क से, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सारणी

क्रम संख्या	माल का वर्णन	सहायिकी सीमा-शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	ऐसा माल, जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार या उससे अधिक है किन्तु 100 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है।	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।
2.	ऐसा माल, जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है या कुछ नहीं है।	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-अवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत।

(1)	(2)	(3)
3.	ऐसा माल, जिसकी बाबत भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क—	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-अवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत ।
	(i) विनिर्दिष्ट दर पर; या	
	(ii) विनिर्दिष्ट दर पर या मूल्यानुसार दर पर यथास्थिति, जो भी कम या अधिक हों, या	
	(iii) विनिर्दिष्ट दर और मूल्यानुसार दर पर है ।	
4.	उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 27(10) के अन्तर्गत आने वाला कच्चा पैट्रोलियम ।	9.50 रु० प्रति मीटरी टन ।

स्पष्टीकरण.—ऊपर की सारणी की क्रम सं० 1 और 2 के प्रयोजन के लिए "भारत सरकार को किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर" अभिव्यक्ति से किसी ऐसी वस्तु के सम्बन्ध में, जिस पर दो या दो से अधिक अलग अलग शुल्क दरें लागू होती हैं, शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में सबसे अधिक है ।

[सं० 14/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G. S. R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause(4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under Items Nos. 10, 10(1), 10(2), 15(3), 15(9), 25(1), 25(2), 27(4)(a), 27(5)(a), 27(6), 27(7)(b), 27(8), 44(5), 44(6), 45(1), 46(3), 47(8), 50(3), 62, 72, 72A(i), 72A(ii), 72(1), 72(2), 72(3), 72(8), 72(9),), 72(13), 72(14)(a)(i), 72(14)(a)(ii), 72(14)(a)(iii), 72(14)(b), 72(15), 72(16), 72(17), 72 (18), 72(19)72(20), 72(21), 72(22), 72(23), 72(24), 72(25), 72(34), 72(39), 72(40)(a), 72(40)(b), 75(18)(a), 75(18)(b)(j), 86(2), 86(3) and 86(4) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32of 1934), from the payment of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause(1) of clause 19 of the said Firance Bill.

[No. 15/F. No. Bud(Cus)/74]

सा० का० नि० 99 (अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 19 के उपखंड (4) जो खंड, करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन इस विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखना है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 10, 10(1), 10(2), 15(3), 15(9), 25(1), 25(2), 27(4)(क), 27(5)(क), 27(6), 27(7)(ख), 27(8), 44(5), 44(6), 45(1), 46(3), 47(8), 50(3), 62, 72, 72क(i), 72क(ii), 72(1), 72(2), 72(3), 72(8), 72(9), 72(13), 72(14)(क) (i), 72(14)(क) (ii), 72

72(14)(क)(iii), 72(14)(ख), 72(15), 72(16), 72(17), 72(18), 72(19), 72(20), 72(21), 72(22), 72(23), 72(24), 72(25), 72(34), 72(39), 72(40)(क), 72(40)(ख), 75(18)(क), 75(18)(ख)(i), 86(2), 86(3), और 86(4) के अन्तर्गत आने वाले माल को उक्त वित्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायिकी सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट देती है ।

[सं० 15/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G. S. R. 100 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods which are exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) by virtue of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, specified in the Schedule below, from payment of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 19 of the said Finance Bill.

THE SCHEDULE

1. No. 31-Customs, dated the 2nd April, 1949.
2. No. 2-Customs, dated the 10th January, 1953.
3. No. 12-Customs, dated the 25th February, 1953.
4. No. 43-Customs, dated the 6th June, 1953.
5. No. 75-Customs, dated the 31st July, 1954.
6. No. 136-Customs, dated the 30th November, 1956.
7. No. 117-Customs, dated the 1st December, 1956.
8. No. 3-Customs, dated the 8th January, 1957.
9. No. 113-Customs, dated the 16th May, 1957.
10. No. 220-Customs, dated the 12th October, 1957.
11. No. 65-Customs, dated the 22nd February, 1958.
12. No. 66-Customs, dated the 22nd February, 1958.
13. No. 67-Customs, dated the 22nd February, 1958.
14. No. 106-Customs, dated the 29th March, 1958.
15. No. 145-Customs, dated the 10th May, 1958.
16. No. 148-Customs, dated the 10th May, 1958.
17. No. 151-Customs, dated the 10th May, 1958.
18. No. 259-Customs, dated the 11th October, 1958.
19. No. 260-Customs, dated the 11th October, 1958.
20. No. 261-Customs, dated the 11th October, 1958.
21. No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958.
22. No. 269-Customs, dated the 25th October, 1958.
23. No. 271-Customs, dated the 25th October, 1958.
24. No. 273-Customs, dated the 25th October, 1958.
25. No. 275-Customs, dated the 25th October, 1958.
26. No. 276-Customs, dated the 25th October, 1958.
27. No. 84-Customs, dated the 13th August, 1960.
28. No. 98-Customs, dated the 1st September, 1961.
29. No. 117-Customs, dated the 13th October, 1961.
30. No. 132-Customs, dated the 9th December, 1961.
31. No. 26-Customs, dated the 19th February, 1962.
32. No. 46-Customs, dated the 21st April, 1962.

33. No. 116-Customs, dated the 1st September, 1962.
34. No. 136-Customs, dated the 29th September, 1962.
35. No. 168-Customs, dated the 8th November, 1962
36. No. 169-Customs, dated the 8th November, 1962.
37. No. 170-Customs, dated the 8th November, 1962
38. No. 43-Customs, dated the 1st February, 1963.
39. No. 92-Customs, dated the 9th March, 1963.
40. No. 93-Customs, dated the 27th April, 1963.
41. No. 168-Customs, dated the 22nd June, 1963.
42. No. 180-Customs, dated the 20th July, 1963.
43. No. 210-Customs, dated the 7th September, 1963.
44. No. 10-Customs, dated the 16th January, 1965.
45. No. 163-Customs, dated the 16th October, 1965.
46. No. 67-Customs, dated the 30th April, 1966.
47. No. 93-Customs, dated the 4th June, 1966.
48. No. 135-Customs, dated the 20th June, 1966.
49. No. 174-Customs, dated the 24th September, 1966.
50. No. 181-Customs, dated the 1st October, 1966.
51. No. 23-Customs, dated the 1st April, 1967.
52. No. 85-Customs, dated the 5th August, 1967.
53. No. 101-Customs, dated the 21st October, 1967.
54. No. 51-Customs, dated the 26th March, 1968.
55. No. 154-Customs, dated the 9th November, 1968.
56. No. 31-Customs, dated the 8th February, 1969.
57. No. 64-Customs, dated the 26th February, 1969.
58. No. 38-Customs, dated the 12th April, 1969.
59. No. 98-Customs, dated the 21st June, 1969.
60. No. 107-Customs, dated the 19th July, 1969.
61. No. 109-Customs, dated the 26th July, 1969.
62. No. 10-Customs, dated the 7th March, 1970.
63. No. 48-Customs, dated the 16th May, 1970.
64. No. 71-Customs, dated the 1st August, 1970.
65. No. 80-Customs, dated the 29th August, 1970.
66. No. 103-Customs, dated the 5th December, 1970.
67. No. 6-Customs, dated the 1st January, 1971.
68. No. 32-Customs, dated the 31st March, 1971.
69. No. 36-Customs, dated the 1st May, 1971.
70. No. 39-Customs, dated the 22nd May, 1971.
71. No. 40-Customs, dated the 22nd May, 1971.
72. No. 62-Customs, dated the 22nd June, 1971.
73. No. 66-Customs, dated the 31st July, 1971.
74. No. 72-Customs, dated the 16th August, 1971.
75. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971
76. No. 89-Customs, dated the 30th October, 1971.
77. No. 3-Customs, dated the 8th January, 1972.
78. No. 9-Customs, dated the 8th January, 1972.
79. No. 10-Customs, dated the 8th January, 1972.
80. No. 37-Customs, dated the 18th March, 1972.
81. No. 52-Customs, dated the 6th April, 1972.
82. No. 64-Customs, dated the 13th May, 1972.

83. No. 79-Customs, dated the 10th June, 1972.
84. No. 81-Customs, dated the 10th June, 1972.
85. No. 86-Customs, dated the 24th June, 1972.
86. No. 97-Customs, dated the 19th August, 1972.
87. No. 102-Customs, dated the 19th August, 1972.
88. No. 110-Customs, dated the 23rd September, 1972.
89. No. 127-Customs, dated the 28th November, 1972.
90. No. 11-Customs, dated the 3rd February, 1973.
91. No. 111-Customs, dated the 30th July, 1973.
92. No. 139-Customs, dated the 8th December, 1973.
93. No. 6-Customs, dated the 2nd February, 1974.

[No. 16/F. No. Bud(Cus)/74.]

सा० का० नि० 100(अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 19 के उपखंड (4), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, ऐसे माल को, जिस को भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क से, नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के आधार पर छूट प्राप्त है, उक्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय सहायिकी सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट देती है ।

अनुसूची

1. सं० 31—सीमा-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1949
2. सं० 2—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जनवरी, 1953
3. सं० 12—सीमा-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1953
4. सं० 43—सीमा-शुल्क, तारीख 6 जून, 1953
5. सं० 75—सीमा शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 1954
6. सं० 136—सीमा-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1956
7. सं० 117—सीमा-शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1956
8. सं० 3—सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957
9. सं० 113—सीमा-शुल्क, तारीख 16 मई, 1957
10. सं० 220—सीमा-शुल्क, तारीख 12 अक्तूबर, 1957
11. सं० 65—सीमा-शुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958
12. सं० 66—सीमा-शुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958
13. सं० 67—सीमा-शुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958
14. सं० 106—सीमा-शुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958
15. सं० 145—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958

16. सं० 148—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
17. सं० 151—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
18. सं० 259—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
19. सं० 260—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
20. सं० 261—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
21. सं० 262—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
22. सं० 269—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
23. सं० 271—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
24. सं० 273—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
25. सं० 275—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
26. सं० 276—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
27. सं० 84—सीमा-शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 1960
28. सं० 98—सीमा-शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1961
29. सं० 117—सीमा-शुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 1961
30. सं० 132—सीमा-शुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 1961
31. सं० 26—सीमा-शुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1962
32. सं० 46—सीमा-शुल्क, तारीख 21 अप्रैल, 1962
33. सं० 116—सीमा-शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1962
34. सं० 136—सीमा-शुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 1962
35. सं० 168—सीमा-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962
36. सं० 169—सीमा-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962
37. सं० 170—सीमा-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962
38. सं० 43—सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963
39. सं० 92—सीमा-शुल्क, तारीख 9 मार्च, 1963
40. सं० 93—सीमा-शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1963
41. सं० 168—सीमा-शुल्क, तारीख 22 जून, 1963
42. सं० 180—सीमा-शुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1963
43. सं० 210—सीमा-शुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 1963
44. सं० 10—सीमा-शुल्क, तारीख 16 जनवरी, 1965
45. सं० 163—सीमा-शुल्क, तारीख 16 अक्तूबर, 1965
46. सं० 67—सीमा-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1966
47. सं० 93—सीमा-शुल्क, तारीख 4 जून, 1966
48. सं० 135—सीमा-शुल्क, तारीख 20 जून, 1966
49. सं० 174—सीमा-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1966

50. सं० 181—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अक्तूबर, 1966

51. सं० 23—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1967

52. सं० 85—सीमा-शुल्क, तारीख 5 अगस्त, 1967

53. सं० 101—सीमा-शुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 1967

54. सं० 51—सीमा-शुल्क, तारीख 26 मार्च, 1968

55. सं० 154—सीमा-शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 1968

56. सं० 31—सीमा-शुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1969

57. सं० 64—सीमा-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1969

58. सं० 38—सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 1969

59. सं० 98—सीमा-शुल्क, तारीख 21 जून, 1969

60. सं० 107—सीमा-शुल्क, तारीख 19 जुलाई, 1969

61. सं० 108—सीमा-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1969

62. सं० 10—सीमा-शुल्क, तारीख 7 मार्च, 1970

63. सं० 48—सीमा-शुल्क, तारीख 16 मई, 1970

64. सं० 71—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1970

65. सं० 80—सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970

66. सं० 103—सीमा-शुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1970

67. सं० 6—सीमा-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1971

68. सं० 32—सीमा-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 1971

69. सं० 36—सीमा-शुल्क, तारीख 1 मई, 1971

70. सं० 39—सीमा-शुल्क, तारीख 22 मई, 1971

71. सं० 40—सीमा-शुल्क, तारीख 22 मई, 1971

72. सं० 62—सीमा-शुल्क, तारीख 22 जून, 1971

73. सं० 66—सीमा-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 1971

74. सं० 72—सीमा-शुल्क, तारीख 16 अगस्त, 1971

75. सं० 84—सीमा-शुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1971

76. सं० 89—सीमा-शुल्क, तारीख 30 अक्तूबर, 1971

77. सं० 3—सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1972

78. सं० 3—सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1972

79. सं० 10 सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1972

80. सं० 37—सीमा-शुल्क, तारीख 18 मार्च, 1972

81. सं० 52—सीमा-शुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1972

82. सं० 64—सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 1972

83. सं० 79—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जून, 1972

84. सं० 81—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जून, 1972

85. सं० 86—सीमा-शुल्क, तारीख 24 जून, 1972

86. सं० 97—सीमा-शुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1972

87. सं० 102—सीमा-शुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1972

88. सं० 110—सीमा-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1972

89. सं० 127—सीमा-शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1972

90. सं० 11—सीमा-शुल्क, तारीख 3 फरवरी, 1973

91. सं० 111—सीमा-शुल्क, तारीख 30 जुलाई, 1973

92. सं० 139—सीमा-शुल्क, तारीख 8 दिसम्बर, 1973

93. सं० 6—सीमा-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 1974।

[सं० 16/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74[

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods which are exempt from a part of the duty of customs specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), by virtue of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, specified in the Schedule below, from payment of the auxiliary duty of customs, leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 19 of the said Finance Bill.

THE SCHEDULE

1. No. 197-Customs, dated the 31st August, 1957.
2. No. 308-Customs, dated the 21st December, 1957.
3. No. 48-Customs, dated the 15th February, 1958.
4. No. 143-Customs, dated the 10th May, 1958.
5. No. 150-Customs, dated the 10th May, 1958.
6. No. 82-Customs, dated the 6th August, 1960.
7. No. 86-Customs, dated the 20th August, 1960.
8. No. 6-Customs, dated the 1st February, 1964.
9. No. 9-Customs, dated the 8th February, 1964.
10. No. 57-Customs, dated the 1st April, 1964.
11. No. 71-Customs, dated the 28th April, 1964.
12. No. 80-Customs, dated the 13th May, 1964.
13. No. 13-Customs, dated the 8th January, 1966.
14. No. 10-Customs, dated the 11th February, 1967.
15. No. 46-Customs, dated the 3rd May, 1967.
16. No. 80-Customs, dated the 21st May, 1968.
17. No. 54-Customs, dated the 19th February, 1969.
18. No. 65-Customs, dated the 26th February, 1969.
19. No. 46-Customs, dated the 29th May, 1971.
20. No. 48-Customs, dated the 29th May, 1971.
21. No. 17-Customs, dated the 17th February, 1973.
22. No. 107-Customs, dated the 24th July, 1973.
23. No. 113-Customs, dated the 11th August, 1973.

[No. 17/F. No. Bud (Cus)/74.]

सा० का० नि० 101 (अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खण्ड 19 के उपखण्ड (4), जो खण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, ऐसे माल को, जिसको भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से एक भाग से, नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के आधार पर छूट प्राप्त है, उक्त वित्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय सहायिकी सीमाशुल्क की अदायगी से छूट देती है।

अनुसूची

1.	सं० 197–सीमा-शुल्क, तारीख 31 अगस्त 1957
2.	सं० 308–सीमा-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1957
3.	सं० 48–सीमा-शुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1958
4.	सं० 143–सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
5.	सं० 150–सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
6.	सं० 52–सीमा-शुल्क, तारीख 6 अगस्त, 1960
7.	सं० 86–सीमा-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1960
8.	सं० 6–सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1964
9.	सं० 9–सीमा-शुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1964
10.	सं० 57–सीमा-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1964
11.	सं० 71–सीमा-शुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1964
12.	सं० 80–सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 1964
13.	सं० 13–सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1966
14.	सं० 10–सीमा-शुल्क, तारीख 11 फरवरी, 1967
15.	सं० 46–सीमा-शुल्क, तारीख 3 मई, 1967
16.	सं० 80–सीमा-शुल्क तारीख 21 मई, 1968
17.	सं० 54–सीमा-शुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1969
18.	सं० 65–सीमा-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1969
19.	सं० 46–सीमा-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
20.	सं० 48–सीमा-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
21.	सं० 17–सीमा-शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1973
22.	सं० 107–सीमा-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1973
23.	सं० 113–सीमा-शुल्क, तारीख 11 अगस्त, 1973

[सं० 17/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G.S.R. 102(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw cashewnuts falling under Item No. 8 of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 19 of the said Finance Bill, subject to the following conditions, namely:—

(i) that the importer makes a declaration at the time of import that the raw cashewnuts are being imported for processing and re-export;

(ii) that the raw cashewnuts are re-exported in the form of cashew kernels within six month of the date of importation or within such extended period not exceeding one year, as the Collector of Customs may allow; and

(iii) that the weight of cashew kernels exported is not less than 25 per cent. of the weight of raw cashewnuts imported, or where it is proved to the satisfaction of the Collector of Customs concerned that the kernels were obtained only from imported raw cashewnuts, such lower percentage of the weight of the raw cashewnuts imported as the Collector of Customs may in each case determine:

Provided that the importer executes a bond, with such surety or sufficient security as the Collector of Customs approves, undertaking—

(a) to re-export the raw cashewnuts after processing within six months of the date of importation or within such extended period not exceeding one year, as the Collector of Customs may allow;

(b) to produce the cashew kernels before the Collector of Customs prior to re-export; and

(c) to pay the auxiliary duty of customs, if the re-export does not take place within the period specified in condition (ii).

[No. 18/F. No. Bud (Cus)/74]

सा० का० नि० 102(अ) .—विस विधेयक, 1974 के खंड 19 के उपखंड (4), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनिमय, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर वि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 8 के अन्तर्गत आने वाले कच्चे काजू को, भारत में आयात किए जाने पर, उक्त वित्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समग्र सहायिकी शुल्क, से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है, अर्थात्:—

(i) आयातकर्ता आयात करते समय यह घोषणा करे कि कच्चे काजू का आयात प्रसंस्करण और पुनः निर्यात करने के लिये किया जा रहा है;

(ii) कच्चे काजू का पुनः निर्यात, आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या बढाई गई ऐसी अवधि के भीतर, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और जिसे सीमा-शुल्क, कलक्टर नियत करे, काजू की गिरी के रूप में किया जाता हो ; और

(iii) निर्यातित काजू की गिरी का भार आयात किए गए कच्चे काजू का 25 प्रतिशत से कम न हो या जहां सीमा-शुल्क कलक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साबित हो गया है कि गिरी केवल आयातित कच्चे काजू से ही प्राप्त की गई थी, वहां आयातित कच्चे काजू के भार की ऐसी कम प्रतिशतता हो सकती है जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर प्रत्येक मामले में अवधारित कर ।

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता, ऐसे प्रतिभू या पर्याप्त प्रतिभूति के साथ जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अनुमोदित करे, यह बचनबद्ध करते हुये बन्ध-पत्र निष्पादित करे, कि—

(क) वह कच्चे काजू का पुनः निर्यात, आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रसंस्करण के पश्चात् करेगा ;

(ख) वह काजू की गिरी को पुनः निर्यात करने से पहले सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष पेश करेगा; और

(ग) यदि शर्त (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः निर्यात नहीं किया गया है तो वह सहायिकी सीमा-शुल्क देगा ।

[सं० 18/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), by virtue of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, specified in the Schedule below, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon, under sub-clause(1) of clause 19 of the said Finance Bill, as is in excess of five per cent of the value as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act.

THE SCHEDULE

1. No. 177-Customs, dated the 13th July, 1963.
2. No. 60-Customs, dated the 13th April, 1968.
3. No. 66-Customs, dated the 18th May, 1968.
4. No. 65-Customs, dated the 11th July, 1970.
5. No. 121-Customs, dated the 28th October, 1972.
6. No. 47-Customs, dated the 31st March, 1973.
7. No. 115-Customs, dated the 11th August, 1973.

[No. 19/F. No. Bud (Cus)/74]

सा० का० नि० 103(अ) .—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 19 के उपखंड (4), जो खंण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे माल पर, जिसको, नीचे की अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के आधार पर उस सीमा-शुल्क से, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, अंशतः वा पूर्णतः छूट प्राप्त है, उक्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने सहायिकी सीमा-शुल्क से जितना उपर्युक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अधीन निर्धारित शुल्क के पांच प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है ।

अनुसूची

1. सं० 177—सीमाशुल्क, तारीख 13 जूलई, 1963 ।
2. सं० 60—सीमाशुल्क, तारीख 13 अप्रैल, 1968 ।

3. सं० 66–सीमाशुल्क, तारीख 18 मई, 1968
4. सं० 65–सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 1970
5. सं० 121–सीमाशुल्क, तारीख 28 अक्तूबर, 1972
6. सं० 47–सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1973
7. सं० 115–सीमाशुल्क, तारीख 11 अगस्त, 1973

[सं० 19/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 19 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts exposed cinematograph films, falling under Item No. 29 (1) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 19 of the said Finance Bill as is in excess of five per cent. of the value of the exposed cinematograph films, calculated at the rate of Rs. 1·94 per linear metre.

[No. 20/F.No. Bud(Cus)/74.]

सा० का० नि० 104(अ).—वित्त विधेयक, 1974 के खंड 19 के उपखंड (4), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहणी अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29(1) के अन्तर्गत आने वाली उदभाषित सिनेमा फिल्मों को, भारत में आयात किए जाने पर, उक्त वित्त विधेयक के खंड 19 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने सहायिकी सीमा–शुल्क से, जितना प्रति लिनियर मीटर 1.94 रु० की दर से परिकलित उदभाषित सिनेमा फिल्मों के मूल्य पर पाच प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

[सं० 20/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G.S.R. 105(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 88-Customs, dated the 11th May, 1973, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table hereto annxed and falling under such items of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as are specified in column (2) of the said Table, from so much of the additional duty which is leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, as is equal to the auxiliary duty of excise leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 22 of the Finance Bill, 1974, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.

THE TABLE

S. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944	Description
(1)	(2)	(3)
1	15A	Artificial or synthetic resins and plastic materials, and articles thereof.
2	26	Steel Ingots including steel melting scrap.
3	26A	Copper and copper alloys containing not less than fifty per cent by weight of copper.

(1)	(2)	(3)
4	26AA	Iron or steel products.
5	26B	Zinc.
6	27	Aluminium.
7	28	Tinplate and tinned sheets including tin taggers, and cuttings of such plates, sheets or taggers.

[No. 21/F.No. Bud (Cus)/74]

सा० का० नि० 105(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 88-सीमा-शुल्क, तारीख 11 मई, 1973 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की उन मदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को भारत में आयात किये जाने पर, उस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934(1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त शुल्क से, जितना वित्त विधेयक, 1974 के खंड 22 के उपखंड (1) के अधीन, जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय सहायिकी उत्पाद शुल्क के बराबर है, छूट देती है।

सारणी

क्रम संख्या	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं०	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	15क	कृत्रिम अथवा संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक के पदार्थ, और उनकी वस्तुएं।
2.	26	इस्पात की सिल्लियां जिसके अन्तर्गत इस्पात पिंडलन स्क्रेप है।
3.	26क	तांबा, और भार के अनुसार पचास प्रतिशत से अन्यून तांबा अन्तर्विष्ट करने वाला मिश्र तांबा।
4.	26क क	लोहे या इस्पात के उत्पाद।
5.	26ख	जस्ता।
6.	27	एल्युमिनियम।
7.	28	टीन की प्लेटें और टीन की चादरें, जिसके अन्तर्गत टीन की पतली चादरें और ऐसी प्लेटों, चादरों या पतली चादरों की कतरनें भी हैं।

[सं० 21/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G. S. R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 25 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 25 of the second mentioned Act.

[No. 22/F. No. Bud (Cus)/74]

सा० का० नि० 106(अ).—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 25 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल की वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 25 की उप धारा (1) के अधीन उस पर अनुग्रहणीय सहायिकी सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 22/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G. S. R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 25 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), the Central Government hereby rescinds the following notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely :—

1. No. 80—Customs, dated the 11th May, 1973.
2. No. 81—Customs, dated the 11th May, 1973.
3. No. 82—Customs, dated the 11th May, 1973.
4. No. 83—Customs, dated the 11th May, 1973.
5. No. 84—Customs, dated the 11th May, 1973.
6. No. 85—Customs, dated the 11th May, 1973.
7. No. 86—Customs, dated the 11th May, 1973.
8. No. 87—Customs, dated the 11th May, 1973.
9. No. 89—Customs, dated the 11th May, 1973.
10. No. 91—Customs, dated the 11th May, 1973.
11. No. 104—Customs, dated the 20th July, 1973.

[No. 23/F. No. Bud (Cus)/74]

सा० का० नि० 107(अ).—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 25 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 80–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
2. सं० 81–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
3. सं० 82–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
4. सं० 83–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
5. सं० 84–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
6. सं० 85–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
7. सं० 86–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973
8. सं० 87–सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973

9. सं० 89—सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973

10. सं० 91—सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1973

11. सं० 104—सीमाशुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1973

[सं० 23/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

G. S. R.108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 o the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessa in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance No. 45—Customs, dated the 7th March, 1968.

[No. 24/F. No. Bud (Cus)/74]

B. N. SHARMA, Under Secy.

सा० का० नि० 108(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 45-सीमाशुल्क, तारीख 7 मार्च, 1968 को विखण्डित करती है ।

[सं० 24/फा० सं० बजट (सी० शु०)/74]

बैजनाथ शर्मा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974